
परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)
(संदर्भ: कंडिका राज्य की रूपरेखा एवं 1.7.2; पृष्ठ 1,33)

क	सामान्य आंकड़े *		आंकड़े	
स.क्र	विवरण		आंकड़े	
1	क्षेत्र		3,08,245 वर्ग कि.मी.	
2	जनसंख्या			
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार	6.03 करोड़	
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार	7.26 करोड़	
3	क.	जनसंख्या का घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)	196 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी	
	ख.	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)	236 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी	
4	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत=21.92 %)		38.30 प्रतिशत	
5	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.8 %)	69.69 प्रतिशत	
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 74.04 %)	70.63 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित बच्चे) (अखिल भारतीय औसत = 40 प्रति 1000 जीवित बच्चे)		67	
7	जन्म के समय जीवित रहने की आशा** (अखिल भारतीय औसत=65.8 वर्ष)		58 वर्ष	
8	जिनी कोएफिशियेन्ट***			
	क.	ग्रामीण (अखिल भारतीय=0.29)	0.29	
	ख.	शहरी (अखिल भारतीय=0.38)	0.36	
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद चालू मूल्य पर 2013-14		₹ 4,50,900 करोड़	
10	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर प्रति व्यक्ति (2004-05 से 2013-14)	मध्य प्रदेश	14.93 प्रतिशत	
		सामान्य संवर्ग के राज्य	14.88 प्रतिशत	
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (2004-05 से 2013-14)	मध्य प्रदेश	16.63 प्रतिशत	
		सामान्य संवर्ग के राज्य	15.49 प्रतिशत	
12	जनसंख्या वृद्धि दर (2004-05 से 2013-14)	मध्य प्रदेश	16.12 प्रतिशत	
		सामान्य संवर्ग के राज्य	12.94 प्रतिशत	
ख.	वित्तीय आंकड़े			
	विवरण		आंकड़े (प्रतिशत में)	
	संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर		2004-05 से 2012-13	
			2004-05 से 2013-14	
		सामान्य संवर्ग के राज्य	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश
क.	राजस्व प्राप्दियों के	16.93	15.18	16.11
ख.	स्वयं के कर राजस्व के	16.42	16.44	17.64
ग.	करेत्तर राजस्व के	12.49	5.13	6.26
घ.	कुल व्यय के	15.37	13.15	14.04
ङ.	पूँजीगत व्यय के	17.01	9.89	9.07
च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय के	17.44	17.50	20.52
छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय के	16.50	15.49	16.11
ज.	वेतन एवं मजदूरी के	14.73	11.18	12.87
झ.	पेन्शन के	18.34	15.71	18.07

स्रोत: वित्तीय आंकड़े वित्त लेखे पर आधारित है

- * सामान्य आंकड़े: गरीबी रेखा से नीचे (योजना आयोग एवं एन. एस. ओ. डाटा, 61वां चक्र)
- ** जन्म के समय जीवित रहने की आशा (भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मन्त्रालय), आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13 में दर्शाये गये 2010-11 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण संकेतक
- *** जिनी कोएफिशियेन्ट जनसंख्या में आय वितरण की असमानता का माप है। मूल्य दर शून्य से एक तक है, शून्य के निकट असमानता कम है; एक के निकट असमानता ज्यादा है, 2009-10 के लिए योजना आयोग आंकड़े।

टिप्पणी: सामान्य संवर्ग के राज्यों के अखिल भारतीय औसत की गणना, सामान्य संवर्ग के 16 राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर की गई है (दिल्ली, गोवा, और पुदुचेरी को छोड़कर)

परिशिष्ट 1.2
भाग-क
सरकारी लेखों की संरचना
(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा जाता है यथा-समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा।

भाग I : समेकित निधि : राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को जारी कर लिए गए सभी ऋण, आन्तरिक ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में शासन द्वारा प्राप्त सभी धनराशियाँ एक समेकित निधि का निर्माण करती है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य की समेकित निधि" नाम से जाना जाता है।

भाग II : आकस्मिकता निधि : संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है जो विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक अनवेक्षित व्यय करने के लिये अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल के विवेकाधीन रखी जाती है। बाद में इस प्रकार के व्यय हेतु तथा समतुल्य राशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधानमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग III : लोक लेखा : प्राप्ति एवं संवितरण से संबंधित कुछ लेन-देनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचन्त, प्रेषणों आदि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं और राज्य विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं।

वित्त लेखों की रूपरेखा 2013-14

वित्त लेखे दो भागों में तैयार किये जाते हैं जिसके भाग-1 में सरकार के संक्षिप्त वित्तीय विवरण है और भाग-2 में इनके विस्तृत विवरण दिए गए हैं। रूपरेखा का विवरण नीचे दिया गया है। आगे, भाग-2 में मुख्य शीर्षवार वेतन एवं राजसहायता पर तुलनात्मक व्यय, राज्य सरकार द्वारा दी गयी सहायता एवं सहायता अनुदान, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें, आयोजनागत योजना पर व्यय, केन्द्रीय योजना निधियों का क्रियान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष अंतरण, शेषों का सारांश, सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम, बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं में लागू मुख्य नीतिगत निर्णय और अनुसूचित व्यय जो कि विभिन्न परिशिष्टों में आये हैं, के विवरण समाहित है।

विवरण क्रमांक	संक्षिप्त तथा विस्तृत विवरण
1	वित्तीय स्थिति का विवरण
2	प्राप्तियों एवं संवितरण का विवरण
3	प्राप्तियों (समेकित निधि) का विवरण
4	व्यय (समेकित निधि) का विवरण
5	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण
6	उधारियों एवं अन्य देयताओं का विवरण
7	सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिमों का विवरण
8	सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदान का विवरण
9	सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विवरण
10	दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण
11	लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण
12	लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण
13	लघु शीर्ष एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण
14	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण
15	उधारियों एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण
16	सरकार द्वारा दिये गये कर्ज तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण
17	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं अनुप्रयोग का विवरण
18	आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण
19	उद्दिष्ट शेषों के निवेश पर विस्तृत विवरण

परिशिष्ट 1.2 (समाप्त)

भाग-ख

(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य की 31 मार्च 2014 को परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य विभाजन दर्शाने वाला विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

मर्दे	31 अक्टूबर 2000 को शेष	विभाजन		विभाजन लंबित होने के कारण मध्य प्रदेश के लेखाओं में रोककर रखे गये शेष	वित्त लेखे की विवरण पत्रक संख्या का संदर्भ
		मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़		
I- देयताएं-					
1. अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	7371.51	5570.57	1239.45	561.49	17 एवं 18
2. निक्षेप	1872.19	1516.52	358.05	(-)2.38	17 एवं 18
3. आरक्षित निधियां	657.94	45.49	11.55	102.47	17 एवं 18
4. उचन्त एवं विविध शेष	39.58	25.46	5.93	8.18	18
II- परिसम्पत्तियां-					
1. सकल पूंजीगत परिव्यय	15760.57	4993.86	1499.12	8788.75	5 एवं 13
2. कर्ज तथा अग्रिम	2883.18	559.83	135.91	2186.26	7 एवं 16
3. गारंटियां	9709.60	--	--	1185.46	9

टिप्पणी : और अधिक विवरणों हेतु कृपया वित्त लेखे देखें।

परिशिष्ट 1.3

भाग-क

राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत प्रणाली
(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 3)

चयनित राजकोषीय बदलाव के लिये बारहवें वित्त आयोग द्वारा राजकोषीय संचयों को मूर्त रूप देने हेतु अपने लक्ष्यों सहित निर्धारित मापदण्ड/परिसीमन और राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों तथा अधिनियम (परिशिष्ट 1.3 का भाग-ख) के अधीन विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु आवश्यक अन्य विवरण पत्रों में दी गई वचनबद्धताएँ/निर्धारित लक्ष्यों का उपयोग प्रमुख राजकोषीय संचयों की प्रवृत्ति तथा प्रणाली के गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन हेतु किया जाता है। यह मान लेने पर कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन का एक अच्छा संकेतक है, प्रमुख राजकोषीय संचय जैसे कर एवं करेतर राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व तथा राजकोषीय घाटा चालू बाजार मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रस्तुत आधार के सन्दर्भ में सम्बद्ध राजकोषीय बदलाव हेतु गुणांक उत्प्लावकता का भी यह मूल्यांकन करने हेतु आंकलन किया गया है कि क्या संसाधनों का संग्रहण, व्यय की पद्धति आदि, आधार में परिवर्तन के साथ तालमेल रख सकते हैं अथवा ये राजकोषीय संचय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अलावा अन्य घटकों द्वारा भी प्रभावित होते हैं।

अन्तिम पाँच वर्षों के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति निम्नानुसार है :

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	227557	263396	311670	372171	450900
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर* (प्रतिशत में)	15.35	15.75	18.33	19.41	21.15

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन

*2009-10 से 2012-13 की अवधि के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान पुनरीक्षित हैं इसलिए पूर्व के प्रतिवेदनों में दर्शित 2009-10 से 2012-13 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में विभिन्न मापदण्डों की उत्प्लावकता/अनुपात प्रतिशत भी पुनरीक्षित कर दिया गया है।

परिशिष्ट 1.3 जारी

भाग-ख

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005

(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 3)

राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 बनाया है जो 1 जनवरी 2006 से प्रभावशील हुआ था राजकोषीय प्रबन्धन में बुद्धिमता सुनिश्चित करने हेतु तथा राजस्व घाटे में उत्तरोत्तर कमी करके राजकोषीय स्थिरता, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय धारणीयता के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन, सरकार के राजकोषीय कार्यक्रमों में अधिक पारदर्शिता और मध्यम कालीन संरचना में राजकोषीय नीति के संचालन तथा उससे सम्बन्धित अथवा प्रासंगिक मामलों हेतु अधिनियम में निर्दिष्ट तथा/अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों (30 जनवरी 2006) के अनुसार राजकोषीय प्रबन्धन उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किये गये थे:

- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटा को कम करे जिससे इसे 31 मार्च 2009 तक समाप्त किया जा सके तथा उसके पश्चात राजस्व आधिक्य को निर्मित किया जा सके;
- राजकोषीय घाटा के संदर्भ में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के संशोधन अनुसार, 31 मार्च 2012 तक, राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक न हो, तक कम करना तथा उसके पश्चात उसे बनाए रखना;
- राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन के अनुसार, सुनिश्चित करें कि कुल बकाया ऋण वित्त वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के लिए उस वर्ष के अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद से क्रमशः 37.6 प्रतिशत, 36.8 प्रतिशत, 36.0 प्रतिशत एवं 35.3 प्रतिशत से अधिक नहीं हो; एवं
- वार्षिक संवृद्धि कारक गारंटी को परिसीमित करना जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि चालू वर्ष की कुल गारंटियां पूर्ववर्ती वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक न हो।

परन्तु शर्त यह है कि राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा भारत संघ के बजट अनुमान के संबंध में केन्द्रीय कर न्यागमेन में कमी के आधारों के कारण और/या राज्य सरकार के वित्त पर आन्तरिक उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न अकल्पित बाध्यताओं या ऐसे अन्य अपवादिक आधारों के कारण, जिन्हें राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें, इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकेगा।

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम/नियमों में यथा निर्दिष्ट राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये पथदर्शी मान चित्र

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार ने 2013-14 हेतु बजट के साथ (क) वृहद् आर्थिक रूप रेखा विवरण, (ख) मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण एवं (ग) राजकोषीय नीति युक्ति विवरण प्रस्तुत किये हैं। चयनित संकेतकों के लिये 2011-12 हेतु वास्तविक आंकड़े, 2012-13 हेतु पुनरीक्षित अनुमान तथा 2013-14 हेतु बजट अनुमान मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में प्रस्तुत किये गये हैं (परिशिष्ट 1.3 भाग-ग)।

चयनित शब्द जिनका प्रयोग राजकोषीय संचय की रूपरेखा तथा पद्धति के मूल्यांकन में किया गया है, की परिभाषाएं भी नीचे दी गई हैं:

चयनित शब्द जिनका प्रयोग राजकोषीय संचय की रूपरेखा
तथा पद्धति के मूल्यांकन में किया गया है, की परिभाषा

शब्द	गणना का आधार
मापदण्डों की उत्प्लावकता	मापदण्ड की संवृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद संवृद्धि
मानदण्ड (X) की अन्य मापदण्ड (Y) के सन्दर्भ में उत्प्लावकता	मापदण्ड (X) की संवृद्धि दर/मानदण्ड (Y) की संवृद्धि दर
संवृद्धि दर	$[(\text{चालू वर्ष की राशि/विगत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताएं} + \text{चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं})/2]*100$
ब्याज प्रसार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संवृद्धि (-) औसत ब्याज दर
प्रमात्रा प्रसार	ऋण स्टॉक* ब्याज प्रसार
बकाया कर्ज के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	$\text{प्राप्त ब्याज}/[(\text{कर्ज तथा अग्रिमों का प्रारम्भिक शेष} + \text{अन्त शेष})/2]*100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां- राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय+पूंजीगत व्यय+निवल कर्ज तथा अग्रिम-राजस्व प्राप्तियां-विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज अदायगियाँ
चालू राजस्व से शेष	मुख्य शीर्ष-2048 ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन के अंतर्गत दर्ज व्यय को छोड़कर राजस्व प्राप्तियों में से सभी आयोजना अनुदान एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का विकलन
ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)	संवृद्धिता ऋणेत्तर प्राप्तियां-(संवृद्धिता प्राथमिक व्यय + संवृद्धिता ब्याज अदायगी)

परिशिष्ट 1.3 (समाप्त)
भाग-ग
चयनित राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्ति
(संदर्भ: कंडिका 1.1 एवं 1.1.2; पृष्ठ 3,4)

(₹ करोड़ में)

सरल क्र.	राजकोषीय संकेतक	2011-12 का लेखा	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	2011-12 की तुलना में पिछले वर्षों में प्रतिशत परिवर्तन	पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में प्रतिशत परिवर्तन
			2012-13 पुनरीक्षित अनुमान	2013-14 बजट अनुमान		
1	2	3	4	5	6	7
1	राजस्व प्राप्तियाँ (2+3+4)	62604.08	71728.51	79603.47	14.57	10.98
2	कर राजस्व (2.1+2.2)	45192.58	51110.31	57075.29	13.09	11.67
2.1	राज्य कर	26973.44	29570.68	33381.68	9.63	12.89
2.2	केन्द्रीय करों में हिस्सा	18219.14	21539.63	23693.61	18.23	10.00
3	करेतर राजस्व	7482.73	7516.55	7583.39	0.45	0.89
4	केंद्र सरकार से सहायता अनुदान	9928.77	13101.65	14944.79	31.96	14.07
5	पूँजीगत प्राप्तियाँ(6+7+8)	18309.52	9643.59	12415.63	-47.33	28.74
6	कर्ज तथा अग्रिमों की वसूली	9147.86	98.63	124.86	-98.92	26.59
7	शुद्ध लोक ऋण	3600.46	7993.46	11841.07	122.01	48.13
8	लोक लेखा से शुद्ध प्राप्ति	5561.20	1551.50	449.70	-72.10	-71.02
9	कुल प्राप्तियाँ(1+5)	80913.60	81372.10	92019.10	0.57	13.08
10	राजस्व व्यय(10.1+10.2)	52693.71	65308.39	74388.64	23.94	13.90
10.1	आयोजनेतर राजस्व व्यय	36677.17	44840.54	50826.95	22.26	13.35
10.2	आयोजना राजस्व व्यय	16016.54	20467.85	23561.69	27.79	15.12
10.3	राजस्व व्यय जिसमें					
10.3.1	ब्याज अदायगियाँ	5299.77	5950.54	6518.52	12.28	9.55
10.3.2	राजसहायताएं	19488.54	25684.75	27775.56	31.79	8.14
10.3.3	मजदूरी एवं वेतन	14331.99	18148.97	21830.59	26.63	20.29
10.3.4	पेंशन भुगतान	4388.91	5325.85	6530.85	21.35	22.63
11	पूँजीगत व्यय (11.1+11.2)	9055.16	11079.42	11113.62	22.35	0.31
11.1	आयोजनेतर पूँजीगत व्यय	32.29	51.30	78.89	58.87	53.78
11.2	आयोजना पूँजीगत व्यय	9022.87	11028.12	11034.73	22.22	0.06
12	कर्ज एवं अग्रिम (12.1+12.2)	15864.25	5874.83	6444.60	-62.97	9.70
12.1	आयोजनेतर कर्ज एवं अग्रिम	14635.00	3829.95	3432.85	-73.83	-10.37
12.2	आयोजना कर्ज एवं अग्रिम	1229.25	2044.88	3011.75	66.35	47.28
13	कुल व्यय (13.1+13.2)	77613.12	82262.64	91946.86	5.99	11.77
13.1	आयोजनेतर व्यय (10.1+11.1+12.1)	51344.46	48721.79	54338.69	-5.11	11.53
13.2	आयोजना व्यय (10.2+11.2+12.2)	26268.66	33540.85	37608.17	27.68	12.13
14	राजस्व आधिक्य (1-10)	9910.37	6420.12	5214.83	-35.22	-18.77
15	राजकोषीय घाटा (1+6-13)	5861.18	10435.50	12218.53	78.04	17.09
16	प्राथमिक घाटा [1+6-(13-10.3.1)]	561.41	4484.96	5700.01	698.87	27.09

परिशिष्ट 1.4

राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आंकड़े

(संदर्भ: कड़िका 1.1, 1.3, 1.9.2 एवं 1.10.4; पृष्ठ 3,11,37,42)

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भाग क. प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	41395(40)	51854(41)	62604(41)	70427(43)	75749(41)
(i) कर राजस्व	17273(42)	21419(41)	26973(43)	30582(43)	33552(44)
कृषि आय पर कर	--	--	--	--	--
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	7724 (45)	10257(48)	12517(46)	14856(49)	16650(50)
राज्य उत्पाद शुल्क	2952 (17)	3603(17)	4317(16)	5078(17)	5907(18)
वाहन कर	919 (5)	1198(6)	1357(5)	1531(5)	1599(5)
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	1783 (10)	2514(12)	3284(12)	3944(13)	3400(10)
भू-राजस्व	180 (1)	361(2)	279(1)	444(1)	366(1)
माल तथा यात्री कर	1333 (8)	1746(8)	2047(8)	2395(8)	2579(8)
अन्य कर	2382 (14)	1740(8)	3172(12)	2334(8)	3051(9)
(ii) करेतर राजस्व	6382 (15)	5720(11)	7483(12)	7000(10)	7705(10)
(iii) संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश	11077(27)	15638(30)	18219(29)	20805(30)	22715(30)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	6663 (16)	9077(18)	9929(16)	12040(17)	11777(16)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	22	367	23	31	36
2 क.अन्तर्राज्यीय परिशोधन	3	2	3	9	2
3. कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियां	23	34	9123	33	93
4. कुल राजस्व तथा ऋणेतार पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+2क+3)	41443	52257	71753	70500	75880
5. लोक ऋण प्राप्तियां	8603(8)	7458(6)	6750(4)	8791(5)	9541(5)
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षणों को छोड़ कर)	7258 (84)	6363(85)	5718(85)	7234(82)	8328(87)
अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षणों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1345 (16)	1095(15)	1032(15)	1557(18)	1212(13)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	50046	59715	78503	79291	85421
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	--	--	100	--	--
8. लोक लेखा प्राप्तियां	52353(51)	65675(52)	76315(49)	86248(52)	94811(53)
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	102399	125390	154918	165539	180232
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10.राजस्व व्यय	35897(75)	45012(78)	52694(68)	62968(79)	69870(81)
आयोजना	9838 (27)	12911(29)	16017(30)	18349(29)	19427(28)
आयोजनेतर	26059(73)	32101(71)	36677(70)	44619(71)	50443(72)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	12014(34)	14647(33)	16229(31)	17705(28)	20591(29)
सामाजिक सेवाएं	12962 (36)	17345(39)	20297(38)	24375(39)	27768(40)
आर्थिक सेवाएं	8371 (23)	10084(22)	12965(25)	16823(27)	16972(24)
सहायता अनुदान तथा अंशदान	2550 (7)	2935(7)	3203(6)	4065(6)	4539(7)
11. पूंजीगत व्यय	7925 (17)	8800(15)	9055(12)	11567(14)	10813(13)
आयोजना	7864 (99)	8657(98)	9023(100)	11543(100)	10770(100)
आयोजनेतर	61 (1)	143(2)	32(0)	24(0)	43(0)
सामान्य सेवाएं	119 (1)	179(2)	167(2)	205(2)	197(2)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
सामाजिक सेवाएं	1178 (15)	1532(17)	1599(18)	1621(14)	1899(17)
आर्थिक सेवाएं	6628 (84)	7089(81)	7289(80)	9741(84)	8717(81)
12. कर्ज तथा अग्रिमों का संवितरण	3817 (8)	3715(6)	15760(20)	5378(7)	5077(6)
13. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	3	2	4	7	2
14. योग (10+11+12+13)	47642	57529	77513	79920	85762
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	2394	2529	3150	3584	4005
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों को छोड़ कर)	1938	2012	2520	2936	3243
अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेन-देन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	456	517	630	648	762
16. आकस्मिकता निधि में विनियोग	--	--	100	--	--
17. समेकित निधि में से कुल संवितरण (14+15+16)	50036	60058	80763	83504	89767
18. आकस्मिकता निधि संवितरण	--	--	--	--	--
19. लोक लेखा संवितरण	50872	62344	73279	82736	93064
20. राज्य द्वारा कुल संवितरण (17+18+19)	100908	122402	154042	166240	182831
भाग ग. घाटे					
21. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	5498	6842	9910	7459	5879
22. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-14)	-6199	-5272	-5760	-9420	-9882
23. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (22+24)	-1745	-223	-460	-3846	-3491
भाग घ. अन्य आंकड़े					
24. ब्याज अदायगियां (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	4454	5049	5300	5574	6391
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	1434	9117	10830	13487	14953
26. ली गई अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण (दिन)	--	--	--	--	--
ली गई अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	--	--	--	--	--
लिया गया अधिविकर्षण (दिन)	--	--	--	--	--
27. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षणों पर ब्याज	--	--	--	--	--
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद ¹	227557	263396	311670	372171	450900
29. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	67853	75504	81757	90168	96826

¹ सरकार द्वारा सूचित संशोधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को अपनाया गया है।

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
30. बकाया गारंटियां (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	1630	5111	5605	7720	9978
31. गारंटी की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	11823	8439	11108	14752	21472
32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	लागू नहीं	लागू नहीं	45	55	201 ²
33. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध निधियाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	9356	2413	34465 ²
भाग-ड राजकोषीय स्थिति के संकेतक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	7.59	8.13	8.65	8.22	7.44
स्वयं के करेतर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	2.80	2.17	2.40	1.88	1.71
केन्द्रीय अंतरण ³ /सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	7.80	9.38	9.03	8.83	7.65
राज्य के स्वयं के कर के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता (प्रतिशत)	0.87	1.05	0.80	0.93	0.78
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	20.94	21.84	24.87	21.47	19.02
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	115.09	110.94	123.81	113.48	113.22
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	75.35	78.24	67.98	78.79	81.47
सामान्य सेवाओं पर व्यय /कुल व्यय (प्रतिशत)	25.56	25.81	21.16	22.47	24.24
सामाजिक सेवाओं पर व्यय /कुल व्यय (प्रतिशत)	30.10	33.14	28.43	32.69	34.67
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	38.98	35.93	46.28	39.75	35.79
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	16.63	15.30	11.68	14.47	12.61
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	16.38	14.99	11.47	14.22	12.37
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	+2.42	+2.60	+3.18	+2.00	+1.30
राजकोषीय घाटा (-)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-2.72	-2.00	-1.85	-2.53	-2.19
प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-0.77	-0.08	-0.15	-1.03	-0.77

² महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा) मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

³ केन्द्रीय अंतरण में संघ करों/शुल्क का भाग एवं भारत सरकार से अनुदान समाविष्ट है।

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व घाटा /राजकोषीय घाटा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	13.82	15.17	15.21	15.42	14.08
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	29.82	28.67	26.23	24.23	21.47
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	163.92	145.61	130.59	128.03	127.82
प्राथमिक घाटा की तुलना में प्रमात्रा प्रसार	(+)2117	(+)8333	(+)10390	(+)4632	(+)9412
ऋण मोचन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां (अनुपात)	0.84	0.87	0.95	0.86	0.98
V अन्य राजकोषीय संकेतक					
निवेश पर प्रतिलाभ (₹ करोड़ में तथा कोष्ठक में प्रतिशत में)	49.75 (0.43)	32.20 (0.26)	37.98 (0.29)	18.38 (0.13)	378.72 (2.48)
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	10206	12313	18112	14101	17069
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.91	0.82	0.72	0.67	0.63

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े प्रत्येक उपशीर्षक के योगों की तुलना में प्रतिशतता (पूर्णांक में) प्रदर्शित करते हैं।

परिशिष्ट 1.4 एवं 1.5 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियां

- उपरोक्त दिए गए विवरण पत्रों में संक्षिप्त लेखे, वित्त लेखे में दी गयी टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों के साथ पढ़े जाये। सरकारी लेखे मुख्य रूप से रोकड़ के आधार पर होने के कारण **परिशिष्ट-1.5** में दर्शाए अनुसार सरकारी लेखाओं में घाटा वाणिज्यिक लेखाकरण में उपार्जन के आधार के विपरीत रोकड़ के आधार पर स्थिति इंगित करते हैं। परिणामस्वरूप भुगतान योग्य मदें अथवा प्राप्ति योग्य मदें अथवा मदें जैसे मूल्य हास या स्टॉक में भिन्नता आदि के आंकड़े लेखाओं में नहीं दिए गए हैं। उच्चतम तथा विविध शेषों में जारी किये गये किन्तु राज्य की ओर से भुगतान नहीं किए गए चेक एवं अन्य लम्बित निपटारे आदि सम्मिलित हैं।
- मार्च 2014 के लेखाओं के बंद होने पर "भारतीय रिजर्व बैंक में जमा" के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 173.22 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 133.97 करोड़ (जमा) के मध्य आंकड़ों में ₹ 39.25 करोड़ (नामे) का अन्तर था। अप्रैल 2014 के लेखाओं के बन्द होने के उपरांत ₹ 49.29 करोड़ (नामे) का शुद्ध अन्तर समाधान के लिए शेष था। रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत अन्तर का कारण एजेंसी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारियों को लेखों में लेन-देनों की गलत सूचना देना है।
- लागू नहीं क्योंकि राज्य ने राजस्व आधिक्य 2004-05 के बाद से वर्तमान तक बनाए रखा है।

परिशिष्ट 1.5
भाग-क
वर्ष 2013-14 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश
(संदर्भ: कंडिका 1.1.1; पृष्ठ 3)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां				संवितरण				
2012-13		2013-14		2012-13	2013-14			
योग			योग	योग	आयोजनेत्तर	आयोजना	योग	
भाग-क: राजस्व								
70427.28	I	राजस्व प्राप्तियां	75749.24	62968.53	राजस्व व्यय	50443.49	19426.272	69869.76
30581.70		- कर राजस्व	33552.16	17705.14	सामान्य सेवाएं	20479.36	111.57	20590.93
				24375.47	सामाजिक सेवाएं	15465.83	12302.38	27768.21
7000.22		- करेत्तर राजस्व	7704.99	10896.42	- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	10138.64	3558.49	13697.13
				3128.22	- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2320.52	963.08	3283.60
20805.16		- संघ करों में राज्य का भाग	22715.27	2741.49	- जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	923.33	1918.12	2841.45
332.93		- आयोजनेत्तर अनुदान	3540.25	149.25	- सूचना एवं प्रसारण	164.54	10.96	175.50
				2277.93	- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	330.88	2085.10	2415.98
7099.43		- राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	5535.77	189.72	- श्रम तथा श्रमिक कल्याण	164.37	57.26	221.63
				4901.77	- समाज कल्याण एवं पोषण	1308.78	3709.37	5018.15
4607.84		- केंद्रीय तथा केंद्र प्रवर्तित आयोजना योजनाओं के लिए अनुदान	2700.80	90.67	- अन्य	114.77	निरंक	114.77
				16823.35	आर्थिक सेवाएं	10720.64	6250.69	16971.33
				6021.08	- कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	3811.56	2402.39	6213.95
				3740.28	- ग्रामीण विकास	1124.11	2281.45	3405.56

प्राप्तियां				संवितरण				
2012-13		2013-14		2012-13	2013-14			
योग		योग		योग		आयोजनेतर	आयोजना	योग
				720.12	- सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	552.23	230.74	782.97
				2799.61	- ऊर्जा	2745.90	594.57	3340.47
				2060.57	- उद्योग एवं खनिज	994.63	474.68	1469.31
				1277.81	-परिवहन	1411.58	0.63	1412.21
				63.33	- विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	6.63	113.98	120.61
				140.55	- सामान्य आर्थिक सेवाएं	74.00	152.25	226.25
				4064.57	सहायता अनुदान एवं अंशदान	3777.66	761.63	4539.29
	II	भाग ख में अग्रणीत राजस्व घाटा		7458.75	भाग ख में अग्रणीत राजस्व आधिक्य			5879.48
70427.28		योग	75749.24	70427.28	योग			75749.24
भाग-ख								
7775.88	III	प्रारम्भिक नकद शेष स्थाई अग्रिमों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित	7074.81	--	भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक अधिविकर्ष			
31.45	IV	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	35.98	11566.89	पूंजीगत परिव्यय	42.56	10769.96	10812.52
				204.89	सामान्य सेवाएं	27.61	168.70	196.31
				1620.99	सामाजिक सेवाएं	4.95	1894.35	1899.30
				147.02	- शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	--	131.60	131.60
				176.80	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1.94	164.07	166.01
				827.32	-जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	--	925.13	925.13
				-	- सूचना एवं प्रसारण	--	--	--
				440.60	- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	--	343.38	343.38
				8.45	- समाज कल्याण एवं पोषण	3.01	324.98	327.99
				20.80	- अन्य सामाजिक सेवाएं	--	5.19	5.19
				9741.01	आर्थिक सेवाएं	10.00	8706.91	8716.91
				345.60	- कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	--	186.52	186.52
				1451.76	- ग्रामीण विकास	--	702.69	702.69
				4268.95	- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	--	4537.31	4537.31
				1226.49	- ऊर्जा	--	631.64	631.64
				213.47	- उद्योग एवं खनिज	10.00	184.92	194.92
				2115.75	-परिवहन		2382.55	2382.55

प्राप्तियां				संवितरण				
2012-13		2013-14	2012-13	2013-14				
योग		योग	योग	आयोजनेत्तर	आयोजना	योग		
			29.00	--	22.65	22.65		
			89.99	--	58.63	58.63		
32.53	V	कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	93.22	5378.25	2906.33	2171.19	5077.52	
			4557.27	2878.64	1472.72	4351.36		
			310.33	--	--	304.19		
			336.08	--	--	348.00		
0.17		- सरकारी कर्मचारियों से	0.13	0.01	--	--	0.07	
32.36		-अन्यो से	93.09	174.56	27.69	698.47	73.90	
9.14	VI	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	2.44	7.02	--	--	2.36	
7458.75	VII	अधोनीत राजस्व आधिक्य	5879.48	--	--	--	--	
8791.16	VIII	लोक ऋण प्राप्तियां	9540.82	3583.94	--	--	4004.65	
7233.85		-अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षणों के अलावा आन्तरिक ऋण	8328.38	2935.53	--	--	3242.63	
-		अर्थोपाय अग्रिम के अधीन निवल लेन-देन		-				
-		अधिविकर्षणों के अधीन निवल लेन-देन						
1557.31		- केंद्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1212.44	648.41			762.02	
--	IX	आकस्मिक निधि को विनियोग		-			निरंक	
--	X	आकस्मिक निधि को अंतर्गत राशि		-			निरंक	
86247.57	XI	लोक लेखा प्राप्तियां	94811.32	82735.57			93063.99	
2319.03		- अल्प बचतें तथा भविष्य निधियां	2784.03	1481.96			1836.27	

प्राप्तियां				संवितरण				
2012-13		2013-14		2012-13	2013-14			
योग		योग		योग	आयोजनेत्तर	आयोजना	योग	
2441.27		- आरक्षित निधियां	1612.01	421.48	- आरक्षित निधियां			640.74
59818.65		- उच्चत तथा विविध	64444.26	59911.79	- उच्चत तथा विविध			64412.85
15167.15		- प्रेषण	15602.17	14766.89	- प्रेषण			15316.54
6501.47		- जमा एवं अग्रिम	10368.85	6153.45	- जमा एवं अग्रिम			10857.59
--	XII	भारतीय रिजर्व बैंक में अंतिम अधिविकर्षण		7074.81	वर्ष के अन्त में रोकड़ शेष			4477.03
				--	- खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण			
				(-)262.75	- रिजर्व बैंक में जमा			173.22 ⁴
				133.05	- स्थाई अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष			3.40
				7204.51	- रोकड़ शेष निवेश तथा उद्दिष्ट निधियों से निवेश			4300.41
180773.76		योग	193187.31	180773.76	योग			193187.31

⁴ मार्च 2014 के लेखाओं के बंद होने पर 'भारतीय रिजर्व बैंक में जमा' के अंतर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 173.22 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 133.97 करोड़ (जमा) के मध्य आकड़ों में ₹ 39.25 करोड़ (नामे) का अंतर था। अप्रैल 2014 के लेखाओं के बंद होने के उपरान्त ₹ 49.29 करोड़ (नामे) का शुद्ध अंतर मिलान के लिए शेष था। रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत अंतर का कारण एजेन्सी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारियों को लेखों में लेन देनों की गलत सूचना देना है।

परिशिष्ट 1.5 (समाप्त)
भाग-ख
31 मार्च 2014 को मध्य प्रदेश सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति
(संदर्भ: कडिका 1.9.1; पृष्ठ 37)

(₹ करोड़ में)

31.03.2013 की स्थिति में	देयताएं	31.03.2014 की स्थिति में
54309.33	आन्तरिक ऋण-	59395.09
31406.58	ब्याज वाले बाजार कर्ज	34978.40
0.43	ब्याज रहित बाजार कर्ज	0.39
94.37	भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज	83.61
6001.52	अन्य संस्थाओं से कर्ज	6256.85
16806.00	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	18075.84
निरंक	अर्थोपाय पेशगियां (प्रदत्त ब्याज सहित)	निरंक
निरंक	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्षण	निरंक
12267.81	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम-	12718.23
1.88	1984-85 से पूर्व के कर्ज	1.88
50.17	आयोजनेत्तर कर्ज	46.49
12215.76	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	12669.86
--	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	--
--	केंद्र प्रवर्तित आयोजना योजनाओं के लिए कर्ज	--
200.00	आकस्मिकता निधि	200.00
10752.33	अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	11698.46
7649.77	जमा	7160.15
5587.16	आरक्षित निधियां	6255.19
87.81	उचन्त तथा विविध शेष	119.87
1080.65	प्रेषण शेष	1366.27
91934.86	योग	98913.26
	परिसम्पत्तियां	
88452.66	स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय-	99229.20
14656.50	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	15275.10
73796.16	अन्य पूंजीगत परिव्यय	83954.10
27088.10	कर्ज तथा अग्रिम	32072.34
21917.11	बिजली परियोजनाओं हेतु कर्ज	26268.48
5142.12	अन्य विकास कर्ज	5775.05
28.87	सरकारी कर्मचारियों को कर्ज तथा विविध कर्ज	28.81
12.49	अग्रिम	11.61

31.03.2013 की स्थिति में	देयताएं	31.03.2014 की स्थिति में
--	प्रेषण शेष	--
7074.81	रोकड़-	4477.03
--	कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	--
(-)262.75	रिजर्व बैंक में जमा	173.22 ⁵
133.05	स्थाई अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	3.40
6806.45	रोकड़ शेष निवेश	3899.14
398.06	आरक्षित निधि निवेश	401.27
-30693.20	सरकारी लेखाओं में घटा-	-36876.92
-7458.75	(i) चालू वर्ष के राजस्व आधिक्य को घटा कर	-5879.48
-2.14	(क) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	-0.07
14.89	(ख) सरकारी लेखे में राशि का संवरण	0.65
-1.04	(ग) वर्ष के दौरान प्रोफार्मा समायोजन	-304.82
--	(घ) आकस्मिकता निधि	--
-23246.16	वर्ष के आरंभ में संचित घाटा	-30693.20
91934.86	योग	98913.26

⁵ मार्च 2014 के लेखाओं के बंद होने पर 'भारतीय रिजर्व बैंक में जमा' के अंतर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 173.22 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 133.97 करोड़ (जमा) के मध्य आकड़ों में ₹ 39.25 करोड़ (नामे) का अंतर था। अप्रैल 2014 के लेखाओं के बंद होने के उपरांत ₹ 49.29 करोड़ (नामे) का शुद्ध अंतर मिलान के लिए शेष था। रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत अंतर का कारण एजेन्सी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारियों को लेखों में लेन देनों की गलत सूचना देना है।

परिशिष्ट 1.6

खेल एवं युवा कल्याण विभाग एवं जनजातीय कल्याण विभाग के श्रेणी-2 के अंतर्गत बचतों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 1.1.4; पृष्ठ 8)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	योजनाओं का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	कुल व्यय	बचत	प्रावधान के साथ बचतों की प्रतिशतता
खेल एवं युवा कल्याण विभाग					
1	5159-खेल अकादमी की स्थापना	13.40	11.19	2.21	16.49
2	6725-प्रदायक केन्द्र (तीरंदाजी) की स्थापना	2.96	1.59	1.37	46.28
3	7265-ओलंपिक 2020	2.21	0.17	2.04	92.31
जनजातीय कल्याण विभाग					
4	2773-प्राथमिक स्कूल वेतन भत्ते	381.39	355.39	26.00	6.82
5	364-आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वेतन भत्ते	5.80	4.67	1.13	19.48
6	581-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वेतन भत्ते	131.25	112.73	18.52	14.11
7	5216-उच्च विद्यालय वेतन भत्ते	27.95	26.08	1.87	6.69
8	494-आश्रमशाला वेतन भत्ते	40.19	37.04	3.15	7.84
9	1398-छात्रावास वेतन भत्ते	49.97	43.52	6.45	12.91
10	2676-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	47.59	37.00	10.59	22.25
11	8832-आश्रम छात्रावास का सुदृढीकरण	22.47	20.26	2.21	9.84
12	7851-युवाओं के लिए रोजगार उन्मुखी व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना	5.10	1.07	4.03	79.02
13	5204-अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों की दक्षता में उन्नयन	16.28	12.54	3.74	22.97
14	8799-छात्रावासों का निर्माण	19.48	9.84	9.64	49.49
15	8828-आश्रमशाला भवन का निर्माण	21.20	8.90	12.30	58.02
16	1392-छात्रवृत्ति एवं अन्य लाभ	18.92	0.80	18.12	95.77
17	2949-यूनीफार्म की आपूर्ति	9.47	7.43	2.04	21.54
18	8805-प्राथमिक स्तर के छात्रों को छात्रवृत्ति	13.84	1.74	12.10	87.43
19	495-आश्रम एवं स्कूल	29.02	23.64	5.38	18.54
20	6175-राज्य छात्रवृत्ति	7.92	0.20	7.72	97.47
21	9416-नगरीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा के लिए अनुदान	164.24	153.86	10.38	6.32

(स्रोत: संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

परिशिष्ट 1.7
वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान राजसहायता भुगतानों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 1.6.4.4; पृष्ठ 28)

(₹ करोड़ में)

स.क्र	विभाग	विवरण एवं लेखा शीर्ष	2012-13			2013-14		
			आयोजनेत्तर	आयोजना (केन्द्र प्रवर्तित आयोजना एवं केन्द्र आयोजना सहित)	योग	आयोजनेत्तर	आयोजना (केन्द्र प्रवर्तित आयोजना एवं केन्द्र आयोजना सहित)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पशुपालन	2403-पशुपालन	--	6.75	6.75	-	13.00	13.00
2	आयुष	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	0.02	--	0.02	0.02	--	0.02
3	जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी	3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान		0.54	0.54	--	0.70	0.70
4	वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार	2230-श्रम एवं रोजगार	2.06	--	2.06	1.47	--	1.47
5	वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार	851-ग्राम तथा लघु उद्योग	--	40.10	40.10	--	57.26	57.26
6	वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार	2852-उद्योग	0.31	102.26	102.57	--	227.03	227.03
7	सहकारिता	2425-सहकारिता	--	250.82	250.82	--	247.87	247.87
8	संस्कृति	2205-कला एवं संस्कृति	--	0.02	0.02	--	0.01	0.01
9	ऊर्जा	2801-बिजली	2440.90	232.00	2672.90	2744.52	296.83	3041.35
10	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-फसल कृषि कर्म	--	275.75	275.75	--	369.95	369.95
11	वित्त	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	--	--	--	--	--	--
12	मत्स्य पालन	2405-मत्स्य पालन	0.10	5.31	5.41	--	5.52	5.52
13	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	1470.22	22.80	1493.02	1579.73	15.00	1594.73
14	वन	2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी	0.06	--	0.06	--	--	--
15	सामान्य प्रशासन	2012-राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	0.26	--	0.26	0.38	--	0.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	सामान्य प्रशासन	2013-मंत्री परिषद	60.73	--	60.73	70.22	--	70.22
17	सामान्य प्रशासन	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1.89	--	1.89	1.54	--	1.54
18	उच्च शिक्षा	2202-सामान्य शिक्षा	--	4.54	4.54	--	4.09	4.09
19	गृह	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	--	--	--	--	--	--
20	गृह	2055-पुलिस	0.60	--	0.60	1.08	--	1.08
21	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-फसल कृषि कर्म	--	21.71	21.71	--	36.13	36.13
22	सूचना प्रौद्योगिकी	3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	--	10.98	10.98	--	46.55	46.55
23	जन शक्ति नियोजन	2203-तकनीकी शिक्षा	--	5.19	5.19	--	9.26	9.26
24	जन शक्ति नियोजन	2230-श्रम एवं रोजगार	--	0.44	0.44	नगण्य	0.43	0.43
25	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2810-गैर पारम्परिक ऊर्जा के स्रोत	--	16.15	16.15	--	34.89	34.89
26	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	18.47	--	18.47	18.46	--	18.46
27	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	77.87	--	77.87	65.99	--	65.99
28	जनसम्पर्क	2220-सूचना तथा प्रचार	1.00	--	1.00	0.58	--	0.58
29	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	59.50	--	59.50	71.96	--	71.96
30	राजस्व	2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	14.00	--	14.00	9.77	--	9.77
31	ग्रामीण विकास	2216-आवास	--	71.49	71.49	--	30.40	30.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	अनुसूचित जाति कल्याण	2202-सामान्य शिक्षा	--	--	--	--	--	--
33	अनुसूचित जाति कल्याण	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	--	3.30	3.30	--	10.14	10.14
34	अनुसूचित जाति कल्याण	2202-सामान्य शिक्षा	--	--	--	--	--	--
35	अनुसूचित जाति कल्याण	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	--	17.33	17.33	--	31.67	31.67
36	स्कूल शिक्षा	2202-सामान्य शिक्षा	--	283.39	283.39	--	296.34	296.34
37	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	--	7.95	7.95	--	8.79	8.79
38	सामाजिक न्याय	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	--	20.29	20.29	--	15.99	15.99
39	सामाजिक न्याय	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	--	78.96	78.96	--	89.56	89.56
40	खेल और युवक सेवाएं	2204-खेल तथा युवा सेवाएं	0.22	25.59	25.81	0.15	49.44	49.59
41	नगरीय प्रशासन एवं विकास	2217-शहरी विकास	--	10.10	10.10	--	25.10	25.10
42	नगरीय प्रशासन एवं विकास	3604-स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं नियतन	--	--	--	30.00	--	30.00
43	ग्रामोद्योग	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	--	20.24	20.24	--	31.12	31.12
44	पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	--	0.10	0.10	--	0.27	0.27
45	महिला एवं बाल विकास	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	--	15.10	15.10	--	18.00	18.00
योग			4148.21	1549.20	5697.41	4595.87	1971.34	6567.21

परिशिष्ट 1.8

क: राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को कार्यों का हस्तांतरण
(संदर्भ: कंडिका 1.6.6.1; पृष्ठ 29)

स.क्र.	कार्य का नाम
1	नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है
2	भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण
3	आर्थिक और सामाजिक विकास योजना
4	सड़कें और पुल
5	घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय
6	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंध
7	अग्निशमन सेवाएं
8	नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि
9	समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा
10	गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन
11	नगरीय निर्धनता उन्मूलन
12	नगरीय सुख-सुविधाओं और सुविधाओं, जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था
13	सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि
14	शव गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और श्मशान और विद्युत शवदाह गृह
15	कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण
16	जन्म-मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी है
17	सार्वजनिक सुख-सुविधाएं, जिनके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं भी हैं
18	वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन

ख: राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कार्यों का हस्तांतरण

स.क्र.	कार्य का नाम
1	कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है
2	भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण
3	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल-आच्छादन विकास
4	पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट-पालन
5	मत्स्यिकी
6	सामाजिक वनोद्योग और फार्म वनोद्योग
7	लघु वन उत्पाद
8	लघु उद्योग, जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है
9	खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग
10	ग्रामीण आवास
11	पेयजल
12	ईंधन एवं चारा

स.क्र.	कार्य का नाम
13	सड़क, पुलियां, पुल, फेरी, जलमार्ग तथा संचार के अन्य साधन
14	ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है
15	गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत
16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
17	शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी है
18	तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा
19	प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा
20	पुस्तकालय
21	सांस्कृतिक क्रियाकलाप
22	बाजार एवं मेले
23	स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसके अंतर्गत अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी हैं
24	परिवार कल्याण
25	महिला एवं बाल विकास
26	समाज कल्याण जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है
27	कमजोर वर्गों का विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
28	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
29	सामुदायिक परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण

परिशिष्ट 1.9

अद्यतन वर्ष जिसके लिये लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया था, 31 मार्च 2014 की स्थिति में हानि में चलने वाले सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों की वित्तीय स्थिति (संदर्भ कंडिका 1.8.1; पृष्ठ 34)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	कम्पनियों/निगमों के नाम	जिस वर्ष तक के लेखा प्रस्तुत किये गये थे	वर्ष के अन्त में निवेशित राशि (प्रदत्त पूंजी)				वर्ष के 31 मार्च के अन्त में संचित हानि (-)	क्षेत्र
			राज्य	केन्द्र	अन्य	योग		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड, ग्वालियर	2012-13	0.00	0.00	0.75	0.75	5.02	वित्त
2.	मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, भोपाल	2011-12	81.09	0.00	0.00	81.09	593.50	वित्त
3.	क्रिस्टल आई.टी. पार्क लिमिटेड, इन्दौर	2012-13	0.00	0.00	0.05	0.05	0.07	निर्माण
4.	मध्य प्रदेश ए.एम.आर.एल. सेमरिया कोल कंपनी लिमिटेड	2012-13	0.00	0.00	1.00	1.00	0.46	निर्माण
5.	मध्य प्रदेश ए.एम.आर.एल. मोरगा कोल कंपनी लिमिटेड	2012-13	0.00	0.00	1.00	1.00	0.32	निर्माण
6.	मध्य प्रदेश ए.एम.आर.एल. बिचारपुर कोल कंपनी लिमिटेड	2012-13	0.00	0.00	1.00	1.00	0.44	निर्माण
7.	मध्य प्रदेश ए.एम.आर.एल. मरकी बारका कोल कंपनी लिमिटेड	2012-13	0.00	0.00	1.00	1.00	0.37	निर्माण
8.	मध्यप्रदेश जेपी कोल लिमिटेड	2012-13	0.00	0.00	10.00	10.00	0.09	निर्माण
9.	मध्य प्रदेश जेपी मिनरल्स लिमिटेड	2012-13	0.00	0.00	61.22	61.22	1.27	निर्माण
10.	मध्य प्रदेश जेपी कोल क्षेत्र लिमिटेड	2012-13	0.00	0.00	10.00	10.00	0.39	निर्माण

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
11.	मध्य प्रदेश सैनिक कोल माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड	2012-13	0.00	0.00	39.98	39.98	0.70	निर्माण
12.	मध्य प्रदेश मोनेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड	2012-13	0.00	0.00	2.00	2.00	0.35	निर्माण
13.	मध्य प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड	2012-13	2375.64	0.00	0.00	2375.64	143.75	ऊर्जा
14.	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2012-13	0.00	0.00	1598.08	1598.08	6937.29	ऊर्जा
15.	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2012-13	1770.33	0.00	0.00	1770.33	6001.03	ऊर्जा
16.	मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2012-13	1825.96	0.00	0.00	1825.96	5922.60	ऊर्जा
17.	मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड	2012-13	4527.49	0.00	185.00	4712.49	1418.71	ऊर्जा
18.	बाणसागर ताप विद्युत परियोजना लिमिटेड	2012-13	0.00	0.00	0.05	0.05	0.55	ऊर्जा
19.	पीथमपुर आटो क्लस्टर प्रायवेट लिमिटेड	2012-13	-	-	11.98	11.98	7.98	निर्माण
20.	मध्य प्रदेश राज्य इलैक्ट्रानिक विकास निगम लिमिटेड	2011-12	21.91	-	-	21.91	8.57	निर्माण
21.	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2011-12	27.97	-	-	27.97	3.36	सेवा
22.	मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम	2007-08	109.96	31.85	-	141.81	1024.52	सेवा
योग			10740.35	31.85	1923.11	12695.31	22071.34	

परिशिष्ट 1.10

**क: अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण जिसमें प्रारंभिक बजट लागत का पुनरीक्षण किया गया-
ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
(संदर्भ: कंडिका 1.8.2; पृष्ठ 34)**

(₹ करोड़ में)

विभाग	संख्या	प्रारंभिक बजट लागत (कॉलम 3)	परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत (कॉलम 4)	लागत आधिक्य (कॉलम 4-कॉलम 3)	संचयी वास्तविक व्यय (31 मार्च 2014)
ऊर्जा विभाग	17	8486.12	11611.64	3125.52	9182.49
लोक निर्माण विभाग	19	123.92	187.11	63.19	130.43
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	11	3038.34	12460.6	9422.26	7825.75
जल संसाधन विभाग	3	194.46	283.41	88.95	226.26
योग	50	11842.84	24542.76	12699.92	17364.93

**ख: अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण जिसमें प्रारंभिक बजट लागत का पुनरीक्षण नहीं किया गया-
ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण**

(₹ करोड़ में)

डिविजन/ जोन	संख्या	प्रारंभिक बजट लागत	परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत	लागत आधिक्य	संचयी वास्तविक व्यय (31 मार्च 2014)
ऊर्जा विभाग	75	53888.09	0.00	0.00	15064.04
लोक निर्माण विभाग	26	107.09	0.00	0.00	62.79
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	2	2507.81	0.00	0.00	1814.14
जल संसाधन विभाग	43	215.17	0.00	0.00	130.98
योग	146	56718.16	0.00	0.00	17071.95

ग: अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण जिनमें वास्तविक व्यय, प्रारंभिक बजट से अधिक है लेकिन परियोजनाओं की लागत का पुनरीक्षण नहीं किया गया-जल संसाधन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग

(₹ करोड़ में)

डिविजन/ जोन	संख्या	प्रारंभिक बजट लागत	परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत	लागत आधिक्य	संचयी वास्तविक व्यय (मार्च 2014)
जल संसाधन विभाग	3	9.18	0.00	0.11	9.29
लोक निर्माण विभाग	2	17.77	0.00	0.81	18.58
योग	5	26.95	0.00	0.92	27.87

(स्रोत: महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रदाय जानकारी के अनुसार)

कुल प्रारंभिक लागत (50+ 146+5) 201 परियोजनाएं= (11842.84 +56718.16+26.95) = 68587.95

31.03.2014 तक (50+ 146+5) 201 परियोजनाओं का कुल संचयी वास्तविक व्यय= (17364.93 + 17071.95+ 27.87) = 34464.75

परिशिष्ट 1.11
मई 2014 तक विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं की स्थिति
(संदर्भ: कडिका 1.8.2; पृष्ठ 35)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	क्षेत्र	कुल परियोजनाएं		आयोजना/पाईप लाइन के अंतर्गत		निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत		लागू होने/निर्माण के अंतर्गत		पूर्ण परियोजनाएं	
		संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
1	पशुपालन	2	80.00	2	80.00	0	0	0	0	0	0
2	स्कूल शिक्षा	2	496.20	2	496.20	0	0	0	0	0	0
3	नगरीय प्रशासन एवं विकास	22	846.70	11	393.10	2	24.90	6	281.60	3	147.10
4	आवास एवं पर्यावरण	7	2133.10	5	2131.10	0	0	0	0	2	2.00
5	जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी	1	130.00	1	130.00	0	0	0	0	0	0
6	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	4	647.10	1	351.00	1	78.50	2	217.60	0	0
7	वन	3	146.70	1	130.00	0	0	1	15.70	1	1.00
8	लोक निर्माण कार्य	147	17926.90	1	40.90	17	2556.40	96	10233.90	33	5095.70
9	खेलकूद एवं युवा कल्याण	1	900.00	0	0	0	0	1	900.00	0	0
10	पर्यटन	3	35.00	1	15.00	2	20.00	0	0	0	0
11	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	4	398.00	1	223.20	3	174.80	0	0	0	0
12	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	3	331.30	1	176.30	0	0	2	155.00	0	0
13	उर्जा	4	552.70	0	0	0	0	3	522.70	1	30.00
14	परिवहन	1	1094.00	0	0	0	0	1	1094.00	0	0
15	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1	138.50	0	0	0	0	1	138.50	0	0
16	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1	67.00	0	0	0	0	0	0	1	67.00
17	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	1	249.90	0	0	1	249.90	0	0	0	0
	योग	207	26173.10	27	4166.80	26	3104.50	113	13559.00	41	5342.80

परिशिष्ट 2.1

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों जिनमें बचतें ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से भी अधिक थी, का विवरण पत्र
(संदर्भ: कंडिका 2.3.1; पृष्ठ 53)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचतें	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	लोक ऋण	लोक ऋण (पूँजीगत प्रभारित)	8022.69	4018.05	50.08
2	03	पुलिस (पूँजीगत दत्तमत)	176.87	105.85	59.85
3	06	वित्त (राजस्व प्रभारित)	14.77	13.24	89.64
4	06	वित्त (पूँजीगत दत्तमत)	286.34	234.74	81.98
5	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन (राजस्व दत्तमत)	1087.79	252.14	23.18
6	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन (पूँजीगत दत्तमत)	77.97	71.36	91.52
7	09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय (राजस्व दत्तमत)	60.75	18.22	29.99
8	12	ऊर्जा (राजस्व दत्तमत)	3841.50	780.26	20.31
9	12	ऊर्जा (राजस्व प्रभारित)	181.23	181.23	100
10	12	ऊर्जा (पूँजीगत प्रभारित)	5477.23	1119.44	20.44
11	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास (राजस्व दत्तमत)	1177.77	334.95	28.44
12	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	1027.39	232.83	22.66
13	15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (पूँजीगत दत्तमत)	81.84	53.46	65.32
14	16	मछली पालन (राजस्व दत्तमत)	66.36	17.77	26.78
15	17	सहकारिता (राजस्व दत्तमत)	471.83	116.45	24.68
16	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (पूँजीगत दत्तमत)	98.65	22.00	22.30
17	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व दत्तमत)	524.96	127.27	24.24
18	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पूँजीगत दत्तमत)	622.23	221.97	35.67
19	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय (राजस्व दत्तमत)	312.22	74.03	23.71
20	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय (पूँजीगत दत्तमत)	85.91	39.80	46.33
21	23	जल संसाधन (राजस्व दत्तमत)	842.83	170.21	20.20
22	26	संस्कृति (पूँजीगत दत्तमत)	192.38	68.25	35.48
23	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) (पूँजीगत दत्तमत)	48.80	34.85	71.41
24	28	राज्य विधान मंडल (राजस्व दत्तमत)	60.92	13.26	21.77
25	29	विधि एवं विधायी कार्य (राजस्व दत्तमत)	940.22	333.47	35.47

1	2	3	4	5	6
26	29	विधि एवं विधायी कार्य (राजस्व प्रभारित)	93.41	27.66	29.61
27	30	ग्रामीण विकास (राजस्व दत्तमत)	686.01	199.20	29.04
28	30	ग्रामीण विकास (पूँजीगत दत्तमत)	577.34	376.53	65.22
29	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी (राजस्व दत्तमत)	241.20	121.63	50.43
30	33	आदिम जाति कल्याण (राजस्व प्रभारित)	21.79	13.85	63.56
31	34	सामाजिक न्याय (राजस्व दत्तमत)	245.07	78.17	31.90
32	36	परिवहन (राजस्व दत्तमत)	83.73	18.85	22.51
33	36	परिवहन (पूँजीगत दत्तमत)	25.00	15.07	60.28
34	37	पर्यटन (पूँजीगत दत्तमत)	134.66	76.28	56.65
35	38	आयुष (राजस्व दत्तमत)	380.26	169.39	44.55
36	38	आयुष (पूँजीगत दत्तमत)	26.41	12.74	48.24
37	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण (पूँजीगत दत्तमत)	200.50	70.02	34.92
38	40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय- आयाकट (पूँजीगत दत्तमत)	152.46	58.75	38.53
39	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (पूँजीगत दत्तमत)	2123.05	520.33	24.51
40	44	उच्च शिक्षा (पूँजीगत दत्तमत)	40.55	19.62	48.38
41	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास (पूँजीगत दत्तमत)	103.93	56.74	54.59
42	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण (राजस्व दत्तमत)	354.59	157.11	44.31
43	52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता (पूँजीगत दत्तमत)	109.51	69.14	63.14
44	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	283.15	86.95	30.71
45	55	महिला एवं बाल विकास (राजस्व दत्तमत)	2842.74	592.04	20.83
46	55	महिला एवं बाल विकास (पूँजीगत दत्तमत)	330.20	96.23	29.14
47	59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (राजस्व दत्तमत)	91.70	39.73	43.33
48	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय (राजस्व दत्तमत)	200.00	180.56	90.28
49	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय (पूँजीगत दत्तमत)	408.71	211.00	51.63
50	63	अल्प संख्यक कल्याण (राजस्व दत्तमत)	67.42	35.81	53.11
51	64	अनुसूचित जाति उपयोजना (राजस्व दत्तमत)	2398.23	588.57	24.54
52	64	अनुसूचित जाति उपयोजना (पूँजीगत दत्तमत)	2157.09	522.74	24.23

1	2	3	4	5	6
53	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण (राजस्व दत्तमत)	812.83	176.41	21.70
54	67	लोक निर्माण कार्य-भवन (पूँजीगत दत्तमत)	182.67	91.29	49.98
55	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	46.00	13.97	30.37
56	73	चिकित्सा शिक्षा (पूँजीगत दत्तमत)	33.16	14.31	43.15
57	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (पूँजीगत दत्तमत)	25.00	21.36	85.44
58	76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा (राजस्व दत्तमत)	66.57	22.60	33.95
59	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) (राजस्व दत्तमत)	1646.23	382.80	23.25
60	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) (पूँजीगत दत्तमत)	11.71	11.71	100
योग			42984.33	13804.26	32.11

(स्रोत: विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.2 (क)
तालिका 2.2 में दिए गए अनुदानों/विनियोगों से संबंधित योजनाओं के प्रकरण जिनमें सारभूत बचतें
(प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 करोड़ से अधिक) हुई
(संदर्भ: कंडिका 2.3.1; पृष्ठ 54)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	संबंधित शीर्ष	योजना का नाम	बचतें	बचतों के कारण
1	2	3	4	5
08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन (राजस्व दत्तमत)				
1	2029-भू-राजस्व	जिला खर्च	89.20	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
2	2053-जिला प्रशासन	जिला स्थापना	50.02	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
3	2053-जिला प्रशासन	उप संभागीय स्थापना	28.48	बचत का कारण व्यय कम होने एवं तहसील कार्यालयों में गत वर्ष कार्यालयीन उपकरण उपलब्ध करा दिये जाने से चालू वित्त वर्ष में निधि की आवश्यकता न होना बताया गया।
12-ऊर्जा				
4	2801-बिजली	टेरिफ अनुदान	600.00	बचत का कारण पुनरीक्षित बजट अनुमान कम किया जाना बताया गया।
5	2801-बिजली	कृषक समृद्धि योजना हेतु अनुदान	107.96	बचत का कारण वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होना बताया गया।
13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास				
6	2401-फसल कृषि-कर्म	खाद भंडारण पर ब्याज अनुदान	31.88	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
7	2401-फसल कृषि-कर्म	राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना	62.67	बचत का कारण मुख्यतः रिलीज कम प्राप्त होने, राज्य योजनाओं के अंतर्गत जिलों से मांग प्राप्त न होने, राशि का उपयोग न होने, राष्ट्रीय तिलहन विकास योजनान्तर्गत पूर्ण रिलीज प्राप्त न होने से, भारत सरकार से प्रावधानित राशि अनुसार रिलीज प्राप्त न होने एवं राज्यांश राशि का पुनर्विनियोजन स्वीकृत न होना बताया गया।
8	2401-फसल कृषि-कर्म-113	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	25.04	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
9	2401-फसल कृषि-कर्म-800	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	135.69	बचत का कारण अंशतः भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पूर्ण रिलीज प्राप्त न होने से प्रावधान का शत-प्रतिशत उपयोग न होना बताया गया। (₹ 134.45 करोड़)
15-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
10	2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	बेकवर्ड रिजन ग्राण्ड फण्ड योजना	20.60	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
11	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	अनुसूचित जाति छात्रावास	24.26	बचत का कारण मांग आधारित योजनान्तर्गत राशि की कम आवश्यकता होना बताया गया।
12	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	अन्य छात्रवृत्तियां	39.68	बचत का कारण मांग आधारित योजनान्तर्गत राशि की कम आवश्यकता होना बताया गया।

1	2	3	4	5
13	2505-ग्रामीण रोजगार	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	27.82	बचत का कारण अंशतः भारत सरकार से केन्द्रांश कम प्राप्त होना एवं राज्यांश राशि अग्रिम जारी होना बताया गया।
17-सहकारिता				
14	2425-सहकारिता	आडिट बोर्ड	20.31	बचत का कारण मुख्यतः दस प्रतिशत आर्थिक कटौती एवं वेतन एवं भत्तों में अधिक प्रावधान किया जाना बताया गया।
15	2425-सहकारिता	सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	80.62	बचत का कारण वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होना बताया गया।
20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
16	2215-जल पूर्ति एवं सफाई	प्रशासन	51.79	बचत का कारण अंशतः पदों का रिक्त रहना बताया गया।
17	2215-जल पूर्ति एवं सफाई	नलकूपों (हेण्ड पंपों) का अनुरक्षण	32.94	बचत का कारण अंशतः पदों का रिक्त रहना बताया गया।
23-जल संसाधन				
18	2701-मध्यम सिंचाई	कार्यपालिक स्थापना	82.21	बचत का कारण मुख्यतः पदों की निरन्तरता के अभाव में राशि का उपयोग न होना एवं वास्तविक कार्यरत पदों के विरुद्ध ही आहरण करना बताया गया।
19	2701-मध्यम सिंचाई	नहरें तथा तालाब	38.06	बचत का कारण अंशतः पदों की निरन्तरता के अभाव में राशि का उपयोग न होना बताया गया।
29-विधि एवं विधायी कार्य				
20	2014-न्याय प्रशासन	सामान्य स्थापना	76.45	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
21	2014-न्याय प्रशासन	न्याय व्यवस्था में सुधार (13वाँ वित्त आयोग)	57.48	बचत का कारण अंशतः पदों के रिक्त रहना एवं कोर्ट्स ऑफ टुमारो योजना, ई-कोर्ट्स परियोजना एवं गैप विश्लेषण का प्रतिवेदन तैयार न होना बताया गया।
22	2015-निर्वाचन	मतदाता सूचियां तैयार करना एवं मुद्रण	30.94	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
23	2015-निर्वाचन	राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रभार	72.78	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
30-ग्रामीण विकास				
24	2216-आवास	मुख्यमंत्री आवास मिशन	45.40	बचत का कारण मांग कम प्राप्त होना बताया गया।
25	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	विकास खण्ड कार्यालय	25.26	बचत का कारण मुख्यतः मांग प्राप्त न होना बताया गया।
26	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन	106.60	बचत का कारण मांग कम प्राप्त होना एवं वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाया जाना बताया गया।
31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी				
27	3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	यू.आई.डी.ए. के लिए प्रोत्साहन (13वाँ वित्त आयोग)	49.94	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
38-आयुष				
28	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं औषधालय	111.83	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)

1	2	3	4	5
50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण				
29	2401-फसल कृषि-कर्म	पौधशाला उद्यान	22.67	बचत का कारण शासन द्वारा स्वीकृत नवीन सेटअप के अंतर्गत योजना को योजना-0655 'संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों' में परिवर्तित करना बताया गया।
30	2401-फसल कृषि-कर्म	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	24.27	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
31	2401-फसल कृषि-कर्म	माईक्रो इरीगेशन की केन्द्र प्रवर्तित योजना	70.34	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
55-महिला एवं बाल विकास				
32	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	310.17	बचत का कारण अंशतः भारत सरकार द्वारा आई.सी.डी.एस. मिशन अंतर्गत मापदण्डों में परिवर्तन होना एवं अनुमानित व्यय की तुलना में अधिक बजट प्रावधान होना बताया गया।
33	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	मध्य प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (विदेशी सहायता)	21.10	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
34	2236-पोषण	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	185.06	बचत का कारण अंशतः भारत सरकार द्वारा आई.सी.डी.एस. मिशन अंतर्गत मापदण्डों में परिवर्तन होना बताया गया।
61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय				
35	2700-मुख्य सिंचाई	अवशेष निपटारा	200.00	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
64-अनुसूचित जाति उपयोजना				
36	2401-फसल कृषि-कर्म	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	43.22	बचत का कारण अंशतः भारत सरकार से राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना के अंतर्गत पूर्ण रिलीज प्राप्त न होने से प्रावधान का शत-प्रतिशत उपयोग न होना बताया गया।
37	2425-सहकारिता	सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	43.60	बचत का कारण मुख्यतः अनुसूचित जाति के किसानों को अल्पकालीन फसल ऋण वितरित किये जाने के आधार पर राशि का आहरण किया जाना बताया गया।
38	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	30.78	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
39	2202-सामान्य शिक्षा	सर्वशिक्षा अभियान	64.85	बचत का कारण अंशतः भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होना बताया गया।
40	2236-पोषण	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	35.88	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
41	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-0103	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	38.01	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
42	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-0803	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	25.23	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)

1	2	3	4	5
43	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन	24.60	बचत का कारण वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाया जाना बताया गया।
66-पिछड़ा वर्ग कल्याण				
44	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	30.95	बचत का कारण स्कूलों से प्रस्ताव समय पर प्राप्त न होना बताया गया।
45	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	राज्य छात्रवृत्तियां	128.47	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)				
46	2202-सामान्य शिक्षा	उच्चतर माध्यमिक शालायेँ	145.82	बचत का कारण मुख्यतः पदों का रिक्त रहना बताया गया।
47	2202-सामान्य शिक्षा	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन	119.50	बचत का कारण मुख्यतः आहरण की अनुमति विलम्ब से प्राप्त होना बताया गया।
48	2202-सामान्य शिक्षा	हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन	40.50	बचत का कारण मुख्यतः पदों का रिक्त रहना बताया गया।
03-पुलिस (पूँजीगत दत्तमत)				
49	4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	पुलिस बल का आधुनिकीकरण	83.95	बचत का कारण स्वीकृत पदों के विरुद्ध पदों की पूर्ति न होना, समयमान वेतन एवं अन्य एरियर्स के भुगतान न होना, क्रय पर प्रतिबंध होना, आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत बजट प्रावधान के विरुद्ध भारत सरकार से अनुमति प्राप्त न होना एवं फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण की राशि क्रय आदेश जारी किये जाने के उपरान्त भी शासन द्वारा व्यक्तिगत जमा खाते में राशि जमा करने की अनुमति प्रदान न किया जाना बताया गया।
06-वित्त				
50	6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिये कर्ज	गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	100.00	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
51	6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिये कर्ज	राज्य शासन के उपक्रमों की पुनर्संरचना हेतु ऋण सहायता	93.72	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
12-ऊर्जा				
52	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	2 गुना 660 मेगावॉट श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना	92.80	बचत का कारण वित्त विभाग से राशि के विमोचन की स्वीकृति हेतु सहमति प्राप्त न होना बताया गया।
53	6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	विद्युत वितरण कंपनियों को कार्यशील पूँजी हेतु ऋण	200.00	बचत का कारण पुनरीक्षित बजट अनुमान कम किया जाना बताया गया।
54	6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	ट्रेडिंग कम्पनी की विद्युत परियोजना के विद्युत देयकों की देनदारियों का सतत ऋण में परिवर्तन-वर्ष 2013-14 तक	146.35	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)

1	2	3	4	5
55	6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	बिजली बोर्ड को अन्य उधार (जनरेटिंग कम्पनी)	100.00	बचत का कारण अंशतः जनरेटिंग कम्पनी के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति न मिलना बताया गया।
56	6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	विद्युत जनरेटिंग कम्पनी को कार्यशील पूंजी ऋण	50.00	बचत का कारण पुनरीक्षित बजट अनुमान कम किया जाना बताया गया।
57	6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	320.62	बचत का कारण मुख्यतः कुछ मुख्य ठेकेदारों द्वारा कार्य में विलम्ब किया जाना बताया गया।
58	6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	113.83	बचत का कारण कार्यों के बिलों के परीक्षण एवं प्रमाणीकरण में विलम्ब होना बताया गया।
20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
59	4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	40.91	बचत का कारण अंशतः योजनाओं एवं प्रस्तावित कार्यों हेतु निविदा दरों का प्राप्त न होना बताया गया।
60	4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	150.00	बचत का कारण योजनाओं के कार्य हेतु निविदा दरों का प्राप्त न होना बताया गया।
30-ग्रामीण विकास				
61	4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को अनुदान	125.30	बचत का कारण मांग कम प्राप्त होना एवं वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाया जाना बताया गया।
62	4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना	198.22	बचत का कारण मुख्यतः मांग कम प्राप्त होना एवं वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाया जाना बताया गया।
63	4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	राज्य ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी	49.50	बचत का कारण मांग कम प्राप्त होना एवं वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाया जाना बताया गया।
41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना				
64	6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	155.58	बचत का कारण कुछ मुख्य ठेकेदारों द्वारा कार्य में देरी के कारण पूरी राशि प्रयुक्त न होना बताया गया।
65	6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	26.70	बचत का कारण भौतिक रूप से पूर्ण हुए कार्यों के देयकों की जांच एवं प्रमाणीकरण में देरी होना बताया गया।
66	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	उच्चतर माध्यमिक शालायें	26.19	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
67	4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275(1)	79.21	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
68	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	51.91	बचत का कारण बांध स्थल से उच्च दाब वाली विद्युत लाइन हटाने में देरी एवं कार्य प्रारंभ न होना बताया गया।
69	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	ए.आई.बी.पी. योजनाएं	31.96	बचत का कारण आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत कम संख्या में ए.आई.बी.पी. योजनाएं स्वीकृत होना बताया गया।

1	2	3	4	5
61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय				
70	4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	70.03	बचत का कारण मुख्यतः विद्यानसभा एवं लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होना एवं कार्यों हेतु निविदा दरों की स्वीकृति न होना बताया गया।
71	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-1501	अवशेष निपटारा	100.00	बचत का कारण इस मद में कोई योजना न होना बताया गया।
72	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-800	अवशेष निपटारा	100.00	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
64-अनुसूचित जाति उपयोजना				
73	6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	136.64	बचत का कारण कुछ ठेकों में टर्न-की ठेकेदारों द्वारा कार्य में देरी करने से राशियां अप्रयुक्त रहना बताया गया।
74	6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	40.15	बचत का कारण अंशतः देयकों के प्रमाणीकरण एवं जांच में देरी होने से राशि का समायोजन न होना बताया गया।
75	6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	55.10	बचत का कारण देयकों के प्रमाणीकरण एवं जांच में देरी होने से राशि का समायोजन न होना बताया गया।
76	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	म.प्र. सड़क विकास कार्यक्रम	50.00	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
77	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित)	40.24	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
78	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	45.08	बचत का कारण अंशतः कुछ निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने एवं भू-अर्जन प्रकरण का निराकरण नहीं होना बताया गया।
12-ऊर्जा (राजस्व प्रभारित)				
79	2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण	181.23	बचत का कारण वित्त विभाग से निधियों का अंतरण न होना बताया गया।
लोक ऋण (पूंजीगत प्रभारित)				
80	6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	उपाय तथा साधन अग्रिम	2000.00	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)
81	6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	2000.00	सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2014)

(स्रोत: विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.2 (ख)
 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं जिनमें प्रत्येक में व्यय ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल
 प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, का विवरण पत्र
 (संदर्भ: कंडिका 2.3.3; पृष्ठ 55)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	अनुदान/विनियोग के अंतर्गत योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	आधिक्य	आधिक्य व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	लोक ऋण	6004-02-101-9086- बाह्य पोषित परियोजनाओं हेतु बेक टू बेक ऋण	3.50	210.68	207.18	5919.43
2	02-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2235-60-107-4674- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भत्ते तथा उपादान	14.00	42.88	28.88	206.29
3	06-वित्त	2071-01-101-9998- मध्य प्रदेश	383.00	487.56	104.56	27.30
4	06-वित्त	2071-01-104-9998- मध्य प्रदेश	168.00	399.58	231.58	137.85
5	06-वित्त	2071-01-105-9998- मध्य प्रदेश	78.75	145.73	66.98	85.05
6	06-वित्त	2071-01-115-9998- मध्य प्रदेश	42.56	138.09	95.53	224.46
7	06-वित्त	2071-01-117-6854- अंशदायी पेंशन योजना	75.00	176.78	101.78	135.71
8	10-वन	4406-01-070-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 4342-वन अधोसंरचना का सुदृढीकरण	77.00	92.93	15.93	20.69
9	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	4851-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7341-डी.एम.आई.सी. ऋण की एन्यूटी	नगण्य	20.00	20.00	100
10	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-02-103-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 7871-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण-मूलभूत सेवाओं के लिये	11.60	24.81	13.21	113.88
11	23-जल संसाधन विभाग	2701-80-001-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 3300-मण्डल स्थापना	36.82	88.93	52.11	141.53
12	23-जल संसाधन विभाग	4700-13-800-1501- अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	74.93	91.88	16.95	22.62

1	2	3	4	5	6	7
13	23-जल संसाधन विभाग	4701-80-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 6598-दत्तौनी मध्यम सिंचाई परियोजना	12.50	47.17	34.67	277.36
14	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	3054-04-800-7081- राजमार्गों/मुख्य जिला मार्गों का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण	350.00	568.54	218.54	62.44
15	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5053-02-102-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	40.39	60.17	19.78	48.97
16	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5053-02-102-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 4727-हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	9.00	20.98	11.98	133.11
17	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-03-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 4149-वृहद पुलों का निर्माण	65.00	78.86	13.86	21.32
18	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-04-800-1401- नाबार्ड-5226-(सामान्य) ग्रामीण सड़कों का निर्माण (नाबार्ड)	200.00	265.89	65.89	32.95
19	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	5054-04-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़को सहित)	210.38	502.71	292.33	138.95
20	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-001-3930- विकास खण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना- मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये-	32.70	46.31	13.61	41.62
21	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	13-ऊर्जा विभाग 6801-796-190-1202- बाह्य पोषित परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 6929-पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	50.10	116.30	66.20	132.14
22	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	20-स्कूल शिक्षा विभाग 2202-01-796-101- 0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-6484- आर.टी.ई.के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	34.30	113.00	78.70	229.45

1	2	3	4	5	6	7
23	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	25-आदिम जाति कल्याण विभाग-2801-06-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना-7211- अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु विद्युतीकरण योजना	140.00	182.84	42.84	30.60
24	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	31-जल संसाधन विभाग 4700-64-796-800-1202-बाह्य पोषित परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोगना)- 6831- पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार- जल संसाधन विभाग	सांकेतिक	12.52	12.52	100
25	42-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल	5054-03-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना-4149-वृहद पुलों का निर्माण	23.00	42.10	19.10	83.04
26	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-101-1501- अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)-6079-सुधार, सुदृढीकरण, पुनर्स्थापना	73.00	99.41	26.41	36.18
27	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-101-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि- 3803- लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजनाएं	90.00	191.07	101.07	112.30
28	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	58-ग्रामीण विकास विभाग 2215-02-796-198-0702-केंद्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोगना-5206- निर्मल भारत अभियान	17.91	28.73	10.82	60.41
29	57-जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य पोषित परियोजनाएं	4700-64-001-1201- बाह्य पोषित परियोजनाएं (सामान्य)-6831-पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार-जल संसाधन विभाग	0.74	16.53	15.79	2133.78
30	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4701-80-001-1501- अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)-5584-सिंहपुर बैराज	नगण्य	43.84	43.84	100

1	2	3	4	5	6	7
31	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	20-स्कूल शिक्षा विभाग 2202-01-789-101- 0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-6484- आर.टी.ई.के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	25.70	79.88	54.18	210.82
32	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	19-लोक निर्माण विभाग 5054-03-789-101- 0103-नाबार्ड (अनुसूचित जाति उपयोजना)-4149- वृहद पुलों का निर्माण	7.00	33.71	26.71	381.57
33	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	19-लोक निर्माण विभाग 5054-03-789-800- 1403-नाबार्ड (अनुसूचित जाति उपयोजना)-5226- ग्रामीण सड़कों का निर्माण (नाबार्ड)	65.55	87.37	21.82	33.29
34	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	27-नर्मदा घाटी विकास विभाग 4700-41-789-800- 1503-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)-2872-बरगी नहर व्यपवर्तन योजना	35.43	47.32	11.89	33.56
35	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	2215-02-198-0701-केंद्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5206-समग्र स्वच्छता अभियान	46.86	74.60	27.74	59.20
36	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-193-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 6221-इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स	9.33	54.14	44.81	480.28
37	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3604-193-9436- यात्रीकर समाप्त किये जाने के एवज में नगरीय निकायों को विशेष अनुदान	27.82	51.81	23.99	86.23
योग			2531.87	4785.65	2253.78	89.02

(स्रोत: विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.2 (ग)
योजनाओं के प्रकरण जिनमें सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 10 करोड़ या अधिक अप्रयुक्त रहा
(संदर्भ: कांडिका 2.3.4; पृष्ठ 55)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-5025-मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण	100.00	निरंक	100.00	100
2	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-200-3089-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगियों और कैश बैलेन्स की कमी की पूर्ति हेतु लिये गये अग्रिमों पर ब्याज	50.00	निरंक	50.00	100
3	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-200-6973-स्थानीय निधि निक्षेप खातों पर ब्याज	10.00	निरंक	10.00	100
4	ब्याज भुगतान	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-104-4033-विभागीय भविष्य निधियों पर ब्याज	30.00	निरंक	30.00	100
5	लोक ऋण	लोक ऋण	6003-110-0637-अर्थोपाय अग्रिम	2000.00	निरंक	2000.00	100
6	लोक ऋण	लोक ऋण	6003-110-0779-कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	2000.00	निरंक	2000.00	100
7	03	पुलिस	4055-211-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	83.95	निरंक	83.95	100
8	06	वित्त	2071-01-200-5653-अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन का भुगतान	34.00	निरंक	34.00	100
9	06	वित्त	2701-01-101-9999-एकीकृत मध्य प्रदेश	12.00	निरंक	12.00	100
10	06	वित्त	6075-800-6787-गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	100.00	निरंक	100.00	100
11	06	वित्त	6075-800-6788-राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल.आर. बाण्ड्स के समाधान हेतु प्रावधान	25.00	निरंक	25.00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
12	07	वाणिज्यिक कर	2030-01-001-6002-मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम के अंतर्गत लगाये गये अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का मध्यप्रदेश पंचायत भू-राजस्व तथा स्टाम्प शुल्क निधि में अन्तरण	51.12	निरंक	51.12	100
13	10	वन	2406-01-101-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-4342-वन अधोसंरचना का सुदृढीकरण	16.11	निरंक	16.11	100
14	10	वन	2406-01-102-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-9027-नर्सरी अधोसंरचना का सुदृढीकरण	26.00	निरंक	26.00	100
15	11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	6860-60-600-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6396-डी.एम.आई.सी.परियोजना हेतु ट्राईफैक को भू-अर्जन मुआवजा ऋण	20.00	निरंक	20.00	100
16	12	ऊर्जा	2045-103-3218-मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण	181.23	निरंक	181.23	100
17	12	ऊर्जा	4801-02-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6323-2 गुना 660 मेगावॉट श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना	92.80	निरंक	92.80	100
18	12	ऊर्जा	6801-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2967-बिजली बोर्ड को अन्य उधार (जनरेटिंग कम्पनी)	100.00	निरंक	100.00	100
19	12	ऊर्जा	6801-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7161-विद्युत जनरेटिंग कम्पनी को कार्यशील पूंजी ऋण	50.00	निरंक	50.00	100
20	12	ऊर्जा	6801-204-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6869-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	47.60	निरंक	47.60	100

1	2	3	4	5	6	7	8
21	17	सहकारिता	6425-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7827-अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक	11.98	निरंक	11.98	100
22	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6643-राज्य जल निगम में पूंजी निवेश	15.00	निरंक	15.00	100
23	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-800-1401-नाबार्ड (सामान्य)-7301-पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	150.00	निरंक	150.00	100
24	23	जल संसाधन	4700-19-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6596-सुधार, सुदृढीकरण एवं पुर्नस्थापना	25.00	निरंक	25.00	100
25	23	जल संसाधन	4700-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2304-निदेशन एवं प्रशासन	37.80	निरंक	37.80	100
26	23	जल संसाधन	4700-84-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	21.00	निरंक	21.00	100
27	23	जल संसाधन	4701-80-001-1401-नाबार्ड (सामान्य)-2304-निदेशन एवं प्रशासन	20.00	निरंक	20.00	100
28	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	3054-03-337-7403-मध्य प्रदेश राजमार्ग निधि हेतु अनुदान	124.74	निरंक	124.74	100
29	29	विधि एवं विधायी कार्य	2014-105-7225-मध्य प्रदेश विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान (13वां वित्त आयोग)	18.23	निरंक	18.23	100
30	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3451-101-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग-(सामान्य)-6267-जिला नवाचार कोष (13वां वित्त आयोग)	16.00	निरंक	16.00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-206-1301-केंद्रीय वित्त आयोग (सामान्य)- 6268-यू.आई.डी.ए. के लिए प्रोत्साहन (13वां वित्त आयोग)	49.94	निरंक	49.94	100
32	37	पर्यटन	5452-01-101-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 7404-अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का निर्माण, भोपाल	31.00	निरंक	31.00	100
33	37	पर्यटन	5452-01-190-1301-केंद्रीय वित्त आयोग (सामान्य)- 6565-इको एवं एडवेंचर पर्यटन का विकास	13.00	निरंक	13.00	100
34	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2408-01-102-0570-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सहकारी समितियों को खाद्यान्न की बिक्री से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति	15.00	निरंक	15.00	100
35	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2408-01-102-3248-मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	30.20	निरंक	30.20	100
36	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2408-01-102-6933-अस्थायी केप निर्माण में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	45.00	निरंक	45.00	100
37	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2408-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9214-आयोडीनयुक्त नमक का वितरण	30.00	निरंक	30.00	100
38	40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट	4705-207-0701-केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (सामान्य)-2304-निदेशन एवं प्रशासन	10.00	निरंक	10.00	100
39	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	07-राजस्व विभाग 2029-796-103-0702-केन्द्रीय प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-6337-भू-अभिलेख का अद्यतीकरण (एन.एल.आर.एम.पी.)	10.00	निरंक	10.00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
40	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	13-ऊर्जा विभाग 4801-05-796-190- 0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-6323-2 गुना 660 मेगावॉट श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना	15.40	निरंक	15.40	100
41	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25-आदिम जाति कल्याण विभाग 4225-02-796-277- 0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-0978-क्रीड़ा परिसर	10.00	निरंक	10.00	100
42	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2304-निदेशन एवं प्रशासन	30.22	निरंक	30.22	100
43	47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2230-03-001-0701- केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (सामान्य)-6951- शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को उत्कृष्ट संस्थानों में विकसित किया जाना	13.50	निरंक	13.50	100
44	48	नर्मदा घाटी विकास	4402-800-0701- केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (सामान्य)-1580- मेक्रोमेनेजमेन्ट योजना	13.45	निरंक	13.45	100
45	53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-789-193- 0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-6982- एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम	11.00	निरंक	11.00	100
46	55	महिला एवं बाल विकास	4235-02-102-1501- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 7449-सेक्टर स्तरीय कार्यालय सह प्रशिक्षण केन्द्र के भवनों का निर्माण	13.52	निरंक	13.52	100
47	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-01-101-6422- सूखा फसल क्षति सहायता अनुदान	50.00	निरंक	50.00	100
48	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-01-101-8874- सूखा राहत एवं रोजगार के लिए अतिरिक्त प्रावधान	50.00	निरंक	50.00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
49	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-02-193-5498-बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय निकायों एवं अन्य गैर सरकारी निकायों/संस्थाओं को सहायता	18.00	निरंक	18.00	100
50	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-800-7249-कीट प्रकोप से फसल क्षति	51.10	निरंक	51.10	100
51	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	2700-80-800-1501-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)-8000-अवशेष निपटारा	200.00	निरंक	200.00	100
52	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4700-80-001-1501-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)-8000-अवशेष निपटारा	100.00	निरंक	100.00	100
53	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4700-80-800-1501-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)-8000-अवशेष निपटारा	100.00	निरंक	100.00	100
54	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	13-ऊर्जा विभाग 4801-05-789-190-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-6323-2 गुना 660 मेगावॉट श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना	16.80	निरंक	16.80	100
55	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	13-ऊर्जा विभाग 6801-789-190-1203-बाह्य पोषित परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-6929-पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	40.15	निरंक	40.15	100
56	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	13-ऊर्जा विभाग 6801-789-190-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-7900-उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	55.10	निरंक	55.10	100
57	74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	2853-02-198-6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	28.90	निरंक	28.90	100

1	2	3	4	5	6	7	8
58	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3604-191-6062-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पेयजल योजनाओं के लिए विद्युत व्यय की प्रतिपूर्ति	10.00	निरंक	10.00	100
59	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3604-191-6063-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशिष्ट अनुदान	10.00	निरंक	10.00	100
योग				6540.84		6540.84	

(स्रोत: विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.3

**पिछले वर्षों के प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है
(संदर्भ: कंडिका 2.3.6; पृष्ठ 56)**

			(₹ करोड़ में)
वर्ष	अनुदानों/विनियोग की संख्या	अनुदानों/विनियोग संख्या	आधिक्य की राशि
1	2	3	4
1997-98	10 अनुदान	राजस्व (दत्तमत) : 7,20,24, 27,58, 67 पूंजीगत (दत्तमत): 20,21,61,69	302.79
	03 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा,31,67	
1998-99	01 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 62	0.10
2003-04	04 अनुदान	राजस्व (दत्तमत) : 68,84 पूंजीगत (दत्तमत): 35,94	2.54
	03 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 20,67 पूंजीगत (प्रभारित): 23	
2004-05	13 अनुदान	राजस्व (दत्तमत) : 24,59,67,92,94 पूंजीगत (दत्तमत): 6,19,30,59,66,78,84,86	83.66
	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 67 पूंजीगत (प्रभारित): 45	
2005-06	04 अनुदान	राजस्व (दत्तमत) : 24,67 पूंजीगत (दत्तमत) : 6,39	37.58
	02 विनियोग	पूंजीगत(प्रभारित) : 21,45	
2006-07	02 अनुदान	राजस्व (दत्तमत) : 24,67	35.99
	01 विनियोग	पूंजीगत(प्रभारित) : 24	
2008-09	02 अनुदान	राजस्व (दत्तमत) : 62 पूंजीगत (दत्तमत) : 43	5.80
	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित) : 24 पूंजीगत (प्रभारित): 24	
2009-10	04 अनुदान	राजस्व (दत्तमत) : 3, 27, 32, 49	123.96
2010-11	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित) : 23 पूंजीगत(प्रभारित) : 24	12.62
	04 अनुदान	राजस्व (दत्तमत) : 33 पूंजीगत (दत्तमत) : 15,52,74	
2011-12	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित) : 23 पूंजीगत (प्रभारित) : 23	135.10
	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित) : 10 पूंजीगत (प्रभारित) : 24	
2012-13	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित) : 10 पूंजीगत (प्रभारित) : 24	0.24
योग	44 अनुदान एवं 19 विनियोग		740.38

परिशिष्ट 2.4
वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ अथवा इससे अधिक)
अनावश्यक सिद्ध हुए
(संदर्भ: कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 57)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
1	2	3	4	5	6
क-राजस्व (दत्तमत)					
1	01-सामान्य प्रशासन और लोक सेवा प्रबंधन	318.07	316.27	1.80	60.85
2	03-पुलिस	3977.48	3427.10	550.38	306.07
3	04-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	23.53	21.41	2.12	2.04
4	07-वाणिज्यिक कर	2252.05	2055.95	196.10	71.20
5	08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	1070.36	835.64	234.72	17.42
6	10-वन	1855.99	1710.98	145.01	83.14
7	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1107.98	842.82	265.16	69.78
8	14-पशुपालन	622.25	520.65	101.60	11.26
9	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय सहायता	987.26	794.56	192.70	40.13
10	16-मछली पालन	64.15	48.58	15.57	2.20
11	17-सहकारिता	470.59	355.38	115.21	1.24
12	18-श्रम	132.61	121.42	11.19	8.15
13	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2710.52	2330.83	379.69	66.55
14	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	523.36	397.69	125.67	1.60
15	21-आवास एवं पर्यावरण	151.40	145.51	5.89	8.24
16	22-नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकास	263.19	238.19	25.00	49.03
17	26-संस्कृति	131.04	124.13	6.91	61.34
18	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	5476.94	4793.73	683.21	89.03
19	29-विधि और विधायी कार्य	871.75	606.75	265.00	68.47
20	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	238.74	119.57	119.17	2.46
21	33-आदिम जाति कल्याण	1382.09	1191.77	190.32	6.84
22	34-सामाजिक न्याय	219.42	166.90	52.52	25.65
23	36-परिवहन	79.79	64.88	14.91	3.94
24	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3348.74	2783.81	564.93	119.44
25	47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	376.79	351.28	25.51	29.05

1	2	3	4	5	6
26	50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	301.31	197.48	103.83	53.29
27	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1711.27	1483.89	227.38	114.85
28	55-महिला एवं बाल विकास	2776.05	2250.70	525.35	66.69
29	56-ग्रामोद्योग	143.03	133.63	9.40	10.42
30	61-बुंदेलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	100.00	19.44	80.56	100.00
31	63-अल्प संख्यक कल्याण	65.05	31.62	33.43	2.37
32	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	2294.32	1809.66	484.66	103.91
33	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	671.94	636.42	35.52	140.89
34	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	425.74	373.23	52.51	25.00
35	72-भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	72.43	71.40	1.03	8.53
36	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	5060.10	4744.12	315.98	621.45
37	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	1512.06	1263.43	248.63	134.17
योग (क)		43789.39	37380.82	6408.57	2586.69
ख-पूँजीगत (दत्तमत)					
38	03-पुलिस	93.47	71.02	22.45	83.40
39	06-वित्त	238.80	51.60	187.20	47.54
40	08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	52.97	6.61	46.36	25.00
41	12-ऊर्जा	5283.30	4357.79	925.51	193.93
42	14-पशुपालन	24.18	22.06	2.12	6.30
43	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	76.20	28.38	47.82	5.64
44	17-सहकारिता	199.96	191.63	8.33	6.98
45	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	466.39	400.26	66.13	155.84
46	23-जल संसाधन	1049.36	1043.97	5.39	200.00
47	37-पर्यटन	89.00	58.38	30.62	45.66
48	40-जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट	102.46	93.71	8.75	50.00
49	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	1991.11	1602.72	388.39	131.94
50	44-उच्च शिक्षा	34.55	20.93	13.62	6.00

1	2	3	4	5	6
51	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	101.75	40.36	61.39	7.76
52	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	1926.68	1634.35	292.33	230.41
53	67-लोक निर्माण कार्य- भवन	174.22	91.37	82.85	8.45
54	73-चिकित्सा शिक्षा	32.06	18.85	13.21	1.10
योग (ख)		11936.46	9733.99	2202.47	1205.95
ग-राजस्व (प्रभारित)					
55	आई.पी.-ब्याज अदायगी और ऋण सेवा	6518.52	6391.32	127.20	439.79
56	12-ऊर्जा	155.00	निरंक	155.00	26.23
57	29-विधि और विधायी कार्य	88.17	65.75	22.42	5.24
योग (ग)		6761.69	6457.07	304.62	471.26
घ-पूंजीगत (प्रभारित)					
58	पी.डी.-लोक ऋण	8017.43	4004.64	4012.79	5.26
योग (घ)		8017.43	4004.64	4012.79	5.26
योग (क+ख+ग+घ)		70504.97	57576.52	12928.45	4269.16

(स्रोत: विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.5
वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए
(संदर्भ: कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 57)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
1	2	3	4	5	6
क-राजस्व (दत्तमत)					
1	05-जेल	211.72	4.36	213.45	2.63
2	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	339.05	74.66	350.66	63.05
3	12-ऊर्जा	2355.10	1486.40	3061.24	780.26
4	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1123.04	435.34	1312.57	245.81
5	32-जनसंपर्क	180.90	39.00	210.34	9.56
6	37-पर्यटन	65.40	11.34	70.17	6.57
7	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	1595.84	535.75	1739.84	391.75
8	43-खेल और युवक कल्याण	64.60	21.09	76.86	8.83
9	44-उच्च शिक्षा	1073.72	181.18	1099.71	155.19
10	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	108.12	14.72	108.60	14.24
11	48-नर्मदा घाटी विकास	15.14	8.62	17.52	6.24
12	51-धार्मिक न्यास और धर्मस्व	87.11	9.00	90.17	5.94
13	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	1023.67	883.53	1631.81	275.39
14	73-चिकित्सा शिक्षा	373.32	76.57	414.98	34.91
15	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	6707.57	1041.53	6746.90	1002.20
16	76-नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	42.32	24.25	43.97	22.60
योग (क)		15366.62	4847.34	17188.79	3025.17
ख-पूंजीगत (दत्तमत)					
17	01-सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	36.16	7.00	37.50	5.66
18	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	523.11	7.95	527.16	3.90
19	21-आवास एवं पर्यावरण	54.67	28.35	81.74	1.28
20	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1400.38	31.39	1408.37	23.40
21	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	13.51	35.29	13.95	34.85
22	36-परिवहन	8.00	17.00	9.93	15.07
23	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	44.50	156.00	130.48	70.02
24	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	458.61	473.00	879.49	52.12
25	47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	21.01	82.92	47.19	56.74
26	48-नर्मदा घाटी विकास	1088.55	227.80	1135.06	181.29
27	55-महिला एवं बाल विकास	89.80	240.40	233.97	96.23
28	57-जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य पोषित परियोजनाएं	276.58	20.00	292.63	3.95
29	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	100.00	308.71	197.71	211.00

1	2	3	4	5	6
30	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	12.50	17.82	23.45	6.87
योग (ख)		4127.38	1653.63	5018.63	762.38
ग-राजस्व (प्रभारित)					
31	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	0.50	2.00	1.26	1.24
योग (ग)		0.50	2.00	1.26	1.24
योग (क+ख+ग)		19494.50	6502.97	22208.68	3788.79

अतिरिक्त आवश्यकता: वास्तविक व्यय-मूल प्रावधान = 22208.68 – 19494.50 = 2714.18
(स्रोत: विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.6
निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन/समर्पण
(संदर्भ: कंडिका 2.3.8; पृष्ठ 57)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/ बचत (-)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	03	पुलिस	2055-114-4155-बेतार केन्द्र भोपाल/गवालियर	(-) 30.24	(+) 9.11	30.13
2	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-8798-चिकित्सालयों का उन्नयन	(+) 6.95	(-) 5.42	77.99
3	23	जल संसाधन	2700-32-101-2894-बांध तथा नहरें	(-)3.54	(+)1.42	40.11
4	23	जल संसाधन	2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-3300-मण्डल स्थापना	(-)7.41	(+)59.53	100
5	37	पर्यटन	5452-01-190-1301-केंद्रीय वित्त आयोग (सामान्य)-6560-धार्मिक पर्यटन का विकास	(+)8.00	(-)11.00	100
6	37	पर्यटन	5452-01-190-1301-केंद्रीय वित्त आयोग (सामान्य)-6566-विद्यमान पर्यटक सुविधाओं का विस्तार एवं उन्नयन	(+) 8.00	(-) 12.00	100
7	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	13-ऊर्जा विभाग 6801-796-190-1202-बाह्य पोषित परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोगना)- 6929-पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	(-) 4.99	(+) 71.19	100
8	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	25-आदिम जाति कल्याण विभाग 4225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 8799-छात्रावास भवन निर्माण	(+) 2.25	(-) 6.30	100
9	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	25-आदिम जाति कल्याण विभाग 4225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 8828-आश्रम/शाला भवन का निर्माण	(+) 8.76	(-) 11.20	100

1	2	3	4	5	6	7
10	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	20-स्कूल शिक्षा विभाग 2202-02-796-109-0702- केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 6005-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन	(-) 12.00	(+) 6.00	50.00
11	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	31-जल संसाधन विभाग 4701-54-796-800-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण	(-) 74.86	(+) 22.94	30.64
12	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	31-जल संसाधन विभाग 4702-796-800-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 6079-सुधार, सुदृढीकरण एवं पुनर्स्थापना	(-) 11.90	(+) 5.47	45.97
13	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-3803- लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाएं	(+)14.54	(-)99.81	100
14	48	नर्मदा घाटी विकास	4701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5869- नर्मदा कछार के विकास हेतु मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाएं	(-)3.94	(+) 1.36	34.52
15	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-45-800-1501- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-9091-औंकारेश्वर परियोजना	(-)2.02	(+)7.79	100
16	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-119-0701-केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7142-नेशनल मिशन ऑफ फुड प्रोसेसिंग	(+) 20.48	(-) 22.35	100
17	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-119-0655- संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालय	(+) 4.43	(-) 3.12	70.43
18	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य पोषित परियोजनाएं	4700-64-001-1201-बाह्य पोषित परियोजनाएं (सामान्य)-6825-सेवा प्रदान करने संबंधी सिंचाई एवं जल निकास संस्थाएं-जल संसाधन विभाग	(+)8.12	(-)3.67	45.20

1	2	3	4	5	6	7
19	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-02-101-0747-ओला पीड़ितों को राहत	(+)457.20	(-)182.64	39.95
20	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-02-101-2018-नगद दान	(+)100.00	(-)35.38	35.38
21	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	4515-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-8284-मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	(-) 5.68	(+) 3.03	53.35
22	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	19-लोक निर्माण विभाग 5054-03-789-337-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-5139-मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन	(-) 11.00	(+) 6.50	59.09
23	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	31-जल संसाधन विभाग 4700-64-789-800-1203-बाह्य पोषित परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-6831-पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार-जल संसाधन विभाग	(+) 1.49	(-) 7.66	100
24	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	31-जल संसाधन विभाग 4700-13-789-800-1503-बाह्य पोषित परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-2824-नहर एवं उससे संबंधित कार्य	(+) 9.75	(-) 3.38	34.67
25	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7094-जेल सुधारों की योजना अंतर्गत निर्माण कार्य	(+)7.95	(-)8.41	100
26	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	4210-03-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6335-चिकित्सा महाविद्यालयों में उन्नयन	(+)7.80	(-)8.75	100

(स्रोत: विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.7

₹ एक करोड़ तथा इससे अधिक एवं 20 प्रतिशत से अधिक की समर्पित नहीं की गयी बचतों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 2.3.9; पृष्ठ 57)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत	समर्पण	बचत जो समर्पण की जाने से रह गई	समर्पित नहीं की गई राशि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
राजस्व (प्रभारित)					
1	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	566.99	9.62	557.37	98.30
2	पी.डी.-लोक ऋण	2.00	निरंक	2.00	100
3	06-वित्त	13.24	निरंक	13.24	100
4	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	4.80	निरंक	4.80	100
5	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	1.91	निरंक	1.91	100
राजस्व (दत्तमत)					
6	06-वित्त	725.39	22.85	702.54	96.85
7	07-वाणिज्यिक कर	267.31	32.85	234.46	87.71
8	14-पशुपालन	112.86	0.06	112.80	99.95
9	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	232.83	158.71	74.12	31.83
10	16-मछली पालन	17.77	0.18	17.59	98.99
11	18-श्रम	19.34	15.42	3.92	20.27
12	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	446.25	निरंक	446.25	100
13	21-आवास एवं पर्यावरण	14.14	नगण्य	14.14	100
14	24- लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	245.81	निरंक	245.81	100
15	26-संस्कृति	68.25	18.70	49.55	72.60
16	28-राज्य विधान मंडल	13.26	4.15	9.11	68.70
17	37-पर्यटन	6.57	निरंक	6.57	100
18	38-आयुष	169.39	0.15	169.24	99.91
19	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	391.75	निरंक	391.75	100
20	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	684.37	433.28	251.09	36.69
21	47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	54.55	निरंक	54.55	100
22	49-अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण	16.56	10.52	6.04	36.47
23	50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	157.11	निरंक	157.11	100

1	2	3	4	5	6
24	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	342.22	169.82	172.40	50.38
25	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	275.39	निरंक	275.39	100
26	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	180.56	नगण्य	180.56	100
27	62-पंचायत	24.18	निरंक	24.18	100
28	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	588.57	424.16	164.41	27.93
29	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	176.41	46.35	130.06	73.73
30	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	77.51	निरंक	77.51	100
31	73-चिकित्सा शिक्षा	34.91	निरंक	34.91	100
32	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	1002.20	426.48	575.72	57.45
पूँजीगत (दत्तमत)					
33	01-सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	5.65	1.53	4.12	72.92
34	06-वित्त	234.74	निरंक	234.74	100
35	08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	71.36	0.10	71.26	99.86
36	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	3.91	2.38	1.53	39.13
37	14-पशुपालन	8.42	1.89	6.53	77.55
38	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	22.00	निरंक	22.00	100
39	21-आवास एवं पर्यावरण	1.28	0.01	1.27	99.22
40	23-जल संसाधन	205.39	88.85	116.54	56.74
41	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	23.40	निरंक	23.40	100
42	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	34.85	निरंक	34.85	100
43	36-परिवहन	15.07	निरंक	15.07	100
44	37-पर्यटन	76.28	निरंक	76.28	100
45	38-आयुष	12.74	निरंक	12.74	100
46	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	70.02	निरंक	70.02	100
47	42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	70.35	50.50	19.85	28.22
48	43-खेल और युवक कल्याण	1.02	निरंक	1.02	100
49	44-उच्च शिक्षा	19.62	1.47	18.15	92.51
50	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	52.12	3.88	48.24	92.56
51	47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	56.74	निरंक	56.74	100

1	2	3	4	5	6
52	57-जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य पोषित परियोजनाएं	3.95	2.18	1.77	44.81
53	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2.50	निरंक	2.50	100
54	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	211.00	93.11	117.89	55.87
55	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	91.29	62.40	28.89	31.65
56	73-चिकित्सा शिक्षा	14.31	निरंक	14.31	100
57	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	11.71	6.11	5.60	47.82
पूँजीगत (प्रभारित)					
58	पी.डी.-लोक ऋण	4018.05	2.17	4015.88	99.95
59	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	9.13	निरंक	9.13	100
योग		12281.30	2089.88	10191.42	

(स्रोत: विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.8
31 मार्च 2014 को ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों के समर्पण के प्रकरण
(संदर्भ: कंडिका 2.3.9; पृष्ठ 57)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	समर्पण की राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	01	2052	90.85	15.90	17.50
2	01	2053	30.29	10.22	33.74
3	03	2055	4048.33	797.21	19.69
4	03	2070	224.79	33.40	14.86
5	03	4055	146.10	101.43	69.43
6	08	2053	503.78	104.74	20.79
7	10	2406	1931.42	88.19	4.57
8	12	2045	206.62	186.61	90.32
9	12	2801	3816.11	774.71	20.30
10	12	4801	541.48	102.20	18.87
11	12	6801	4935.75	965.45	19.56
12	13	2401	1108.97	73.67	6.64
13	15	2216	71.33	26.40	37.01
14	15	2505	64.08	18.45	28.79
15	15	2515	221.97	26.50	11.94
16	15	4515	81.84	52.08	63.64
17	17	2425	471.85	116.61	24.71
18	17	6425	171.81	15.30	8.91
19	22	2217	299.93	37.17	12.39
20	27	2202	5566.02	382.63	6.87
21	29	2014	706.57	206.68	29.25
22	29	2015	284.74	131.42	46.15
23	30	2216	75.80	45.40	59.89
24	30	2515	526.20	148.70	28.26
25	30	4515	577.34	376.51	65.21
26	31	3454	205.03	93.16	45.44
27	41	2202	905.89	12.80	1.41
28	41	2235	357.26	19.60	5.49
29	41	2515	118.76	13.13	11.06
30	41	4801	94.95	18.40	19.38
31	41	6801	423.87	187.27	44.18
32	52	2216	104.07	36.86	35.42
33	52	2505	117.75	38.72	32.88
34	52	2515	255.76	24.54	9.59
35	52	4515	109.51	70.53	64.41
36	55	2235	1884.76	148.46	7.88
37	55	2236	941.12	30.07	3.20
38	55	4235	330.20	96.23	29.14
39	56	2851	153.45	14.28	9.31
40	59	2515	91.70	39.73	43.33
41	63	2225	67.42	34.91	51.78
42	64	2425	76.82	36.50	47.51
43	64	2515	85.15	34.25	40.22
44	64	4235	67.35	21.65	32.15
45	64	4515	102.55	11.87	11.57
46	64	4801	91.02	19.40	21.31
47	64	6801	356.95	202.58	56.75
48	66	2225	812.83	46.35	5.70
49	68	2217	46.00	13.97	30.37
50	74	2202	2821.42	17.11	0.61

1	2	3	4	5	6
51	74	2216	153.37	68.81	44.87
52	74	2501	48.12	21.63	44.95
53	74	2505	250.01	53.77	21.51
54	74	2515	2389.42	109.69	4.59
55	75	2217	1555.58	590.84	37.98
56	75	3604	3422.93	191.63	5.60
57	75	6217	25.00	21.36	85.44
58	77	2202	1596.85	368.72	23.09
59	78	2217	125.00	11.99	9.59
योग			46891.84	7558.39	16.12

(स्रोत: विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.9
व्यय की अत्यधिकता
(संदर्भ: कंडिका 2.3.10; पृष्ठ 58)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना संख्या	जनवरी-मार्च 2014 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2014 में किया गया व्यय	कुल व्यय	किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2014	मार्च 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01-सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	6757	51.61	51.43	52.03	99.19	98.85
2	03-पुलिस	3059	13.00	13.00	21.00	61.90	61.90
3	06-वित्त	1005	14.54	14.54	14.54	100	100
4	10-वन	3885	43.76	43.76	43.76	100	100
5	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	6749	50.52	48.71	74.26	68.03	65.59
6	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	9053	23.56	23.56	23.56	100	100
7	12-ऊर्जा	7414	90.00	90.00	90.00	100	100
8	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6923	22.50	22.50	36.26	62.05	62.05
9	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	7892	24.31	19.72	34.05	71.40	57.91
10	21-आवास एवं पर्यावरण	5244	21.03	21.03	21.03	100	100
11	23-जल संसाधन	4146	10.94	10.88	13.00	84.15	83.69
12	25-खनिज साधन	6606	591.34	591.34	591.34	100	100
13	26-संस्कृति	6464	46.67	45.68	48.28	96.67	94.61
14	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	3229	54.08	54.08	59.00	91.66	91.66
15	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	7272	89.00	89.00	121.50	73.25	73.25

1	2	3	4	5	6	7	8
16	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	9087	18.00	18.00	32.71	55.03	55.03
17	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	5152	32.10	29.68	44.39	72.31	66.86
18	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	6005	31.00	31.00	33.00	93.94	93.94
19	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	6484	78.70	78.70	113.00	69.65	69.65
20	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	6655	16.80	16.80	24.00	70.00	70.00
21	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	6831	12.52	12.52	12.52	100	100
22	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	6929	98.37	98.37	142.05	69.25	69.25
23	43-खेल और युवक कल्याण	5834	19.25	19.25	28.96	66.47	66.47
24	48-नर्मदा घाटी विकास	9133	44.62	44.62	44.62	100	100
25	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	6923	40.50	40.50	65.26	62.06	62.06
26	53-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6981	49.97	48.57	87.32	57.23	55.62
27	55-महिला एवं बाल विकास	6741	27.10	20.91	34.57	78.39	60.49
28	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2018	577.40	377.53	658.62	87.67	57.32
29	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	2884	30.00	19.65	30.00	100	65.50
30	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	6078	10.90	10.90	10.90	100	100
31	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	6080	21.56	21.56	21.56	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8
32	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	0658	25.99	21.00	25.99	100	80.80
33	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	5139	13.00	11.66	15.50	83.87	75.23
34	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	6005	24.33	24.33	25.83	94.19	94.19
35	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	6484	54.18	54.18	79.88	67.83	67.83
36	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	6655	15.40	15.40	22.00	70.00	70.00
37	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	6099	21.86	21.86	21.86	100	100
38	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	6923	87.00	87.00	140.19	62.06	62.06
39	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6981	88.19	85.74	154.75	56.99	55.41
40	76-नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	3220	25.90	25.90	42.59	60.81	60.81
41	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	4209	33.55	33.55	33.55	100	100
42	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6959	43.65	43.65	45.53	95.87	95.87
43	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6971	71.16	71.16	71.16	100	100
44	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6972	140.59	140.59	140.59	100	100
45	आई.पी.-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	7421	24.20	24.20	24.20	100	100
योग			2924.65	2688.01	3470.71	84.27	77.45

(स्रोत: विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.10
बजट में प्रावधानित नवीन मद के व्यय के लिए ₹ एक करोड़ से अधिक का प्रावधान अप्रयुक्त दिखाए
जाने वाला विवरण पत्र
(संदर्भ: कंडिका 2.3.12; पृष्ठ 58)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	प्रावधान	व्यय
1	2	3	4	5
1	03-पुलिस	2055-800-0101-7348-अपराध एवं अपराधी पतासाजी तंत्र और व्यवस्था	7.00	निरंक
2	03-पुलिस	2055-800-0101-7353-पुलिस स्वास्थ्य अधोसंरचना	1.15	निरंक
3	03-पुलिस	4055-800-0101-7352-प्रशासनिक भवन का निर्माण	1.25	निरंक
4	03-पुलिस	4055-800-0101-7355-पुलिस पारगमन भवन का निर्माण	1.25	निरंक
5	03-पुलिस	4055-800-0101-7356-पुलिस लाईन्स का उन्नयन	1.25	निरंक
6	03-पुलिस	4070-800-0101-7326-नगर सेना अधोसंरचना एवं विकास	1.25	निरंक
7	12-ऊर्जा	6801-205-0101-7256-बाण सागर ताप विद्युत परियोजना 2 गुना 800 मेगावाट	5.00	निरंक
8	12-ऊर्जा	6801-205-0101-7255-33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण एवं डी.टी.आर. मीटरिंग के लिए	3.00	निरंक
9	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-06-101-0101-6840-राष्ट्रीय वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम योजना	2.00	निरंक
10	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-800-0701-7299-समूह जल प्रदाय योजना	2.20	निरंक
11	29-विधि एवं विधायी कार्य	2052-090-7388-अधिवक्ता कल्याण निधि का निर्माण	5.00	निरंक
12	30-ग्रामीण विकास	4515-800-0101-7251-विकास भवन	3.00	निरंक
13	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2225-02-796-277-0102-7204-लेपटाप का प्रदाय	5.00	निरंक
14	43-खेल और युवक कल्याण	2204-800-0101-7380-विवेकानन्द युवा केन्द्रों की स्थापना	1.00	निरंक
15	43-खेल और युवक कल्याण	2204-800-0101-7269-हॉकी कृत्रिम टर्फ	2.40	निरंक
16	46-विज्ञान और टेक्नालॉजी	3425-60-200-0101-7270-गांव सीमांकन और प्रदेश के वास मानचित्रण के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग	1.59	निरंक
17	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-800-7249-कीट प्रकोप से फसल क्षति	51.10	निरंक
18	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	2225-01-789-277-0103-7204-लेपटाप का प्रदान	8.75	निरंक
19	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	3604-191-7398-नगरीय निकायों के लिए स्वच्छता पुरस्कार योजना	1.10	निरंक
20	76-नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2810-02-101-0101-7312-सौर ऊर्जा पार्क विस्तार	2.00	निरंक
21	76-नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2810-03-101-0101-7318-पवन ऊर्जा पार्क विस्तार	1.25	निरंक
योग			107.54	

(स्रोत: विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.11

ऐसे प्रकरण जिनमें पिछले दो वर्ष के दौरान ₹ एक करोड़ से अधिक के संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे
(संदर्भ: कंडिका 2.3.13; पृष्ठ 59)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/ विनियोग का नाम	योजना का नाम	वर्ष			
				2012-13		2013-14	
				कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	अप्रयुक्त प्रावधान	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	अप्रयुक्त प्रावधान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-104-0807-कामगार अंशदायक भविष्य निधि पर ब्याज	7.00	7.00	7.00	7.00
2	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-104-4033-विभागीय भविष्य निधियों पर ब्याज	30.00	30.00	30.00	30.00
3	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-104-6854-अंशदायी पेंशन योजना	6.00	6.00	6.00	6.00
4	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-108-0117-परिभाषित पेंशन योजना पर ब्याज	5.00	5.00	5.00	5.00
5	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-04-102-0930-केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिये ऋणों पर ब्याज	2.83	2.83	2.50	2.50
6	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-04-103-0925-केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के लिये ऋणों पर ब्याज	12.00	12.00	7.25	7.25
7	पी.डी.	लोक ऋण	6003-110-0637-अर्थोपाय अग्रिम	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
8	पी.डी.	लोक ऋण	6003-110-0779-कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
9	पी.डी.	लोक ऋण	6004-03-800-8437 त्वरित लाभप्रद कार्यक्रम हेतु ऋण	2.71	2.71	2.71	2.71
10	पी.डी.	लोक ऋण	6004-04-102-3128-भू एवं जल संरक्षण के लिए उधार	1.54	1.54	1.54	1.54
11	पी.डी.	लोक ऋण	6004-04-800-5236-राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास के लिये उधार	1.55	1.55	1.21	1.21
12	पी.डी.	लोक ऋण	6004-04-800-6420-माइक्रो मनेजमेण्ट हेतु उधार	2.02	2.02	2.02	2.02
13	03	पुलिस	4055-211-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	25.00	25.00	83.95	83.95
14	06	वित्त	2052-091-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5631-वित्तीय समावेशन हेतु अधोसंरचना विकास	5.00	5.00	3.00	3.00
15	06	वित्त	6075-800-6787-गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	300.00	300.00	100.00	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8
16	06	वित्त	6075-800-6788-राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल.आर.बाण्ड्स के समाधान हेतु प्रावधान	25.00	25.00	25.00	25.00
17	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 5917-भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना का विस्तार	6.31	6.31	5.98	5.98
18	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6337-भू-अभिलेख का अद्यतीकरण (एन.एल.आर.एम.पी.)	3.00	3.00	9.40	9.40
19	17	सहकारिता	6425-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7827-अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक	5.00	5.00	11.98	11.98
20	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 5613-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	15.00	15.00	3.25	3.25
21	23	जल संसाधन	4700-21-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-6596-सुधार, सुदृढीकरण एवं पुनर्स्थापना	8.50	8.50	2.00	2.00
22	23	जल संसाधन	4700-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2304-निदेशन एवं प्रशासन	37.80	37.80	37.80	37.80
23	23	जल संसाधन	4701-66-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	20.00	20.00	5.00	5.00
24	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3454-02-206-1301-केंद्रीय वित्त आयोग (सामान्य)- 6268-यू.आई.डी.ए. के लिए प्रोत्साहन (13वाँ वित्त आयोग)	49.94	49.94	49.94	49.94
25	37	पर्यटन	5452-01-190-1301-केंद्रीय वित्त आयोग (सामान्य)- 6558-एम.आई.सी.ई.सुविधाओं का विकास	5.00	5.00	5.00	5.00
26	37	पर्यटन	5452-01-190-1301-केंद्रीय वित्त आयोग (सामान्य)-6573-हवाई सेवाओं का विकास	2.00	2.00	2.00	2.00

1	2	3	4	5	6	7	8
27	40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट	4705-207-0701-केंद्रीय वित्त आयोग (सामान्य)-2304-निदेशन एवं प्रशासन	10.00	10.00	10.00	10.00
28	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	13-ऊर्जा विभाग 4801-05-796-190-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-6323-2 गुना 660 मेगावॉट श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना	3.08	3.08	15.40	15.40
29	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2304-निदेशन एवं प्रशासन	35.40	35.40	30.22	30.22
30	48	नर्मदा घाटी विकास	4801-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6942-औंकारेश्वर नहर शीर्ष विद्युत गृह	7.00	7.00	3.00	3.00
31	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-01-101-8874-सूखा राहत एवं रोजगार के लिये अतिरिक्त प्रावधान	50.00	50.00	50.00	50.00
32	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-01-103-5496-सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पोषण आहार	3.00	3.00	3.00	3.00
33	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-102-1301-केंद्रीय वित्त आयोग (सामान्य)-6370-तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत क्षमता निर्माण	5.00	5.00	5.00	5.00
34	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	6245-01-800-2750-प्राकृतिक विपदाओं के कारण उत्पन्न जलकष्ट के निवारण हेतु ऋण	2.50	2.50	2.50	2.50
35	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	2700-80-800-1501-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)-8000-अवशेष निपटारा	99.00	99.00	200.00	200.00
36	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4700-80-001-1501-अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)- 8000-अवशेष निपटारा	400.00	400.00	100.00	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8
37	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	13-ऊर्जा विभाग 4801-05-789-190-0103- अनुसूचित जाति उपयोजना- 6323-2 गुना 660 मेगावॉट श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना	7.02	7.02	16.80	16.80
38	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	55-अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 4225-01-789-800-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-अनुसूचित जाति उपयोजना-1400-आश्रम तथा छात्रावास भवन	3.56	3.56	3.56	3.56
39	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6918-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय	28.80	28.80	1.20	1.20
योग				5232.56	5232.56	4850.21	4850.21

(स्रोत: विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.12
चयनित अनुदानों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान
(संदर्भ: कंडिका 2.4.2; पृष्ठ 60)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	योजना का नाम	कुल बजट	व्यय	बचत
1	2	3	4	5	6
(क) 39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण					
1	39	2408-01-001-6387-अवार्ड योजना	0.06	निरंक	0.06
2	39	2408-01-102-0570-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सहकारी समितियों को खाद्यान्न की बिक्री से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति	15.00	निरंक	15.00
3	39	2408-01-102-3248-मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	30.20	निरंक	30.20
4	39	2408-01-102-6933-अस्थाई केप निर्माण में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	45.00	निरंक	45.00
5	39	2408-01-102-0101-6627-खाद्यान्न उपार्जन की कम्प्यूटराईजेशन परियोजना	6.50	निरंक	6.50
6	39	2408-01-102-0101-7241-खाद्यान्न परिवहन में नियंत्रण हेतु जी.पी.एस. ट्रेकिंग परियोजना	0.98	निरंक	0.98
7	39	2408-01-102-0101-9214-आयोडीनयुक्त नमक का वितरण	30.00	निरंक	30.00
8	39	3475-106-0801-6113-संभागीय कार्यालय का सुदृढीकरण	0.06	निरंक	0.06
योग (क)			127.80		127.80
(ख) 55-महिला एवं बाल विकास					
9	55	2235-02-103-0801-9028-पूर्ण शक्ति केंद्र योजना	0.40	निरंक	0.40
10	55	2235-02-103-0101-7063-किशोरी बालिकाओं का कौशल उन्नयन	1.00	निरंक	1.00
11	55	4235-02-102-1501-7449-सेक्टर स्तरीय कार्यालय सह प्रशिक्षण केन्द्र के भवनों का निर्माण	13.52	निरंक	13.52
12	55	4235-02-800-0701-6103-समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)	0.75	निरंक	0.75
13	55	4235-02-800-0101-6791-संचालनालय महिला बाल विकास का भवन निर्माण	0.50	निरंक	0.50
योग (ख)			16.17		16.17
योग (क+ख)			143.97		143.97

(स्रोत:-विनियोग लेखे एवं विस्तृत लेखे)

परिशिष्ट 2.13
चयनित अनुदानों में व्यय की अत्यधिकता
(संदर्भ: कांडिका 2.4.3; पृष्ठ 60)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	शीर्ष	कुल प्रावधान (पुनर्विनियोजन के बाद)	कुल व्यय	अन्तिम तिमाही में व्यय (जन.-मार्च 2014)	अन्तिम तिमाही में व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
(क) 39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण						
1	39	2408-01-102-0101-7165-खाद्यान्न भण्डारण हेतु गारंटी योजना	5.00	2.86	2.86	100
2	39	3475-106-0101-6113-संभागीय कार्यालय का सुदृढीकरण	0.50	0.50	0.50	100
3	39	3475-106-0101-8808-सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य	0.10	0.09	0.09	100
4	39	6408-02-190-1401-7272-गोदाम निर्माण	188.50	121.50	88.99	73.24
योग (क)			194.10	124.95	92.44	73.98
(ख) 55-महिला एवं बाल विकास						
5	55	2235-02-102-0701-0658-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	689.83	689.33	337.11	48.90
6	55	2235-02-102-0101-5643-आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय	170.29	170.01	111.31	65.47
7	55	2235-02-102-0101-6442-अटल बाल आरोग्य मिशन	2.10	2.10	2.10	100
8	55	2235-02-102-0101-8808-सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य	0.26	0.25	0.19	76.00
9	55	2235-02-103-0801-5285-राज्य महिला संसाधन केन्द्र	0.33	0.33	0.33	100
10	55	2235-02-103-0701-6103-समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)	1.82	1.68	1.34	79.76

1	2	3	4	5	6	7
11	55	2235-02-103-0101-6104-योजनाओं का मूल्यांकन एवं अनुवीक्षण	0.31	0.31	0.16	51.61
12	55	2236-02-101-0701-6392-राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (सबला)	140.04	140.04	61.64	44.02
13	55	4235-02-102-1301-5360-आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण	54.37	54.37	31.16	57.31
14	55	4235-02-800-1201-6741-मध्य प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (बाह्य पोषित)	33.62	33.62	27.10	80.61
15	55	4235-02-800-0101-5871-मध्य प्रदेश महिला वित्त विकास निगम की अंशपूँजी में धनवेष्टन	1.00	1.00	1.00	100
योग (ख)			1093.97	1093.04	573.44	52.46
योग (क+ख)			1288.07	1217.99	665.88	54.67

(स्रोत: विनियोग लेखे एवं विभाग)

परिशिष्ट 3.1

मार्च 2014 तक की स्थिति में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विभागवार जानकारी
(संदर्भ: कडिका 3.1; पृष्ठ 65)

स.क्र.	विभागों के नाम	मुख्य शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
1	2	3	4
1	राजस्व	2029	1.20
2	समाज कल्याण	2235	748.03
3	नगरीय प्रशासन	3604	9547.82
4	विधान सभा सचिवालय	2011	1.29
5	जन संपर्क	2220	1.50
6	ग्रामीण विकास	2501,2505, 2515,4515	4937.02
7	सहकारिता	6425,2425	368.66
8	सिंचाई	2702	18.69
9	ऊर्जा	2801,2810	998.40
10	पशुपालन	2403	249.31
11	आबकारी	2039,2045	2.04
12	जेल	2056	0.02
13	महिला एवं बाल विकास	2236	86.44
14	पुलिस	2055	2.06
15	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग	2250	24.67
16	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	22.76
17	उद्योग	2851,2852	423.56
18	विधि एवं विधायी कार्य	2014	1.55
19	आवास एवं पर्यावरण	2217	321.34
20	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2408	5209.50
21	लोक निर्माण विभाग	2216	246.81
22	भौमिकी एवं खनिकर्म	2853	233.42
23	मत्स्योद्योग	2405	11.12
24	पर्यटन	3452	81.05
25	कृषि	2401,4402	464.40
26	श्रम	2230	51.42
27	सामान्य प्रशासन	2075,2052	93.54
28	आर्थिक एवं सांख्यिकी	3454	57.45
29	संस्थागत वित्त	2047	0.02
30	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3425	12.26
31	चिकित्सा सेवाएं	2210	56.78
32	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225	301.82
33	शिक्षा विभाग	2202,4202	2784.41
34	खेलकूद तथा युवा कल्याण	2204	10.78
35	राजभाषा एवं संस्कृति विभाग	2205	0.15
36	जिला प्रशासन	2053	1.44
	योग	46 मुख्य शीर्ष	27372.73

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.) मध्य प्रदेश द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 3.2
दुर्विनियोग, गबन आदि के प्रकरणों का विभागवार/अवधिवार ब्यौरा
(संदर्भ: कंडिका 3.3; पृष्ठ 67)

स. क्र.	विभाग का नाम	5 वर्षों तक		5 से 10 वर्ष तक		10 से 15 वर्ष		15 से 20 वर्ष		20 से 25 वर्ष		25 वर्ष तथा इससे अधिक		प्रकरणों की कुल संख्या	
		प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	2	03	10.41	02	10.55	03	5.13	04	26.67	03	7.32	06	4.46	21	64.54
1	22 10-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य														
2	22 11-परिवार कल्याण	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	02	3.65	02	3.65
3	2054-कोषालय एवं लेखा प्रशासन	06	375.60	0	0.00	0	0.00	01	18.25	0	0.00	05	12.97	12	406.82
4	22 15-जलपूर्ति तथा सफाई	01	0.58	03	3.85	01	0.48	0	0.00	0	0.00	0	0.00	05	4.91
5	2014-न्याय प्रशासन	04	18.77	02	3.64	0	0.00	0	0.00	01	0.44	0	0.00	07	22.85
6	2015-निर्वाचन	0	0.00	01	5.98	0	0.00	0	0.00	01	3.77	0	0.00	02	9.75
7	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	0	0.00	01	26.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	01	26.00
8	2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण	0	0.00	0	0.00	0	0.00	01	0.17	0	0.00	0	0.00	01	0.17
9	2013-मंत्री परिषद	01	0.32	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	01	0.32
10	2055-पुलिस	148	60.75	124	26.85	56	45.22	22	15.78	09	4.71	04	0.72	363	154.03
11	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0	0.00	0	0.00	0	0.00	04	5.65	08	7.14	05	3.17	17	15.96
12	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0	0.00	01	1.31	01	4.04	01	0.14	02	1.24	01	1.23	06	7.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	2202-सामान्य शिक्षा	26	92.05	30	336.94	1.2	20.17	04	3.04	12	8.14	34	23.00	118	483.34
14	2203-तकनीकी शिक्षा	04	2.57	08	17.16	03	7.64	0	0.00	0	0.00	0	0.00	15	27.37
15	2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएँ	02	2.94	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	02	2.94
16	2205-कला एवं संस्कृति	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	01	13.12	0	0.00	01	13.12
17	2230-श्रम तथा रोजगार	07	4.52	01	0.36	03	6.94	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	11.82
18	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	0	0.00	01	42.31	0	0.00	02	1.34	01	2.90	0	0.00	04	46.55
19	2505-ग्रामीण रोजगार *	01	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	01	0.00
20	2403-पशुपालन	05	4.98	03	0.74	04	8.73	02	3.11	02	0.15	03	0.24	19	17.95
21	2401-फसल कृषि कर्म	04	7.07	07	12.41	0	0.00	0	0.00	03	0.48	0	0.00	14	19.96
22	2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी	319	519.37	201	238.28	380	321.64	339	146.39	621	126.36	493	95.00	2353	1447.04
23	लोक निर्माण विभाग	05	23.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	05	23.09
24	जल संसाधन विभाग	06	6.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	06	6.56
25	नर्मदा घाटी विकास विभाग	02	0.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	02	0.25
	योग	544	1129.83	385	726.38	463	419.99	380	220.54	664	175.77	553	144.44	2989	2816.95

(स्रोत: महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) एवं (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश में संघारित जानकारी)

* टीप: विभाग ने अभी तक राशि सूचित नहीं की।

परिशिष्ट 3.3

चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्रियों की हानि के प्रकरणों के संबंध में विभाग/संवर्गवार विवरण
(संदर्भ: कंडिका 3.3; पृष्ठ 67)

स.क्र.	विभाग का नाम	चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोग/सरकारी सामग्री की हानि		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	06	7.47	15	57.07	21	64.54
2.	2211-परिवार कल्याण	0	0.00	02	3.65	02	3.65
3.	2054-कोषालय एवं लेखा प्रशासन	05	23.98	07	382.84	12	406.82
4.	2215-जलपूर्ति तथा सफाई	03	2.71	02	2.20	05	4.91
5.	2014-न्याय प्रशासन	04	4.11	03	18.74	07	22.85
6.	2015-निर्वाचन	0	0.00	02	9.75	02	9.75
7.	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	0	0.00	01	26.00	01	26.00
8.	2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण	0	0.00	01	0.17	01	0.17
9.	2013-मंत्री परिषद	0	0.00	01	0.32	01	0.32
10.	2055-पुलिस	27	6.02	336	148.00	363	154.02
11.	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	02	0.38	15	15.58	17	15.96
12.	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	04	2.47	02	5.50	06	7.97
13.	2202-सामान्य शिक्षा	44	71.46	74	411.88	118	483.34
14.	2203-तकनीकी शिक्षा	09	12.09	06	15.28	15	27.37
15.	2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएँ	01	0.44	01	2.50	02	2.94
16.	2205-कला एवं संस्कृति	01	13.12	0	0.00	01	13.12
17.	2230-श्रम तथा रोजगार	09	4.83	02	6.99	11	11.82
18.	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	01	0.43	03	46.12	04	46.55
19.	2505-ग्रामीण रोजगार *	01	0.00	0	0.00	01	0.00
20.	2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी	40	12.04	2313	1435.00	2353	1447.04
21.	2403-पशुपालन	07	6.70	12	11.25	19	17.95

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	2401-फसल कृषि कर्म	11	13.36	03	6.60	14	19.96
23.	लोक निर्माण विभाग	03	12.59	02	10.50	05	23.09
24.	जल संसाधन विभाग	06	6.56	0	0.00	06	6.56
25.	नर्मदा घाटी विकास	02	0.25	0	0.00	02	0.25
	योग	186	201.01	2803	2615.94	2989	2816.95

(स्रोत: महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) एवं (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश में संधारित जानकारी)

* टीप: विभाग ने अभी तक राशि सूचित नहीं की।

परिशिष्ट 3.4

**2013-14 के दौरान अपलेखन के प्रकरणों के विभागवार विवरण
(संदर्भ: कंडिका 3.3; पृष्ठ 68)**

स.क्र.	विभाग	अपलेखन की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी	संक्षिप्त विवरण	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ में)
1	2	3	4	5	6
1.	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, सागर	दो प्रकरणों में औषधियों की चोरी के कारण हानि, एक प्रकरण में लूट के कारण हानि, तूफान के कारण वाहन का क्षतिग्रस्त होना	04	270829.00
2.	2055-पुलिस	महानिदेशक पुलिस, पुलिस मुख्यालय, भोपाल	वायरलेस सेटों की चोरी और वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त इत्यादि के कारण हुई हानि	27	502668.00
3.	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	निदेशक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	गबन एवं वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हानि	02	33493.00
4.	2202-सामान्य शिक्षा	संचालक लोक शिक्षा, मध्य प्रदेश, भोपाल	चार पंखों की चोरी के कारण हानि	01	4968.00
5.	2403-पशुपालन	उप संचालक, पशुपालन, सागर एवं सीधी	उपकरण/अनुपयोगी वस्तुएँ/ कल पुर्जे इत्यादि	06	26329.00
6.	2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वित्त एवं बजट, मध्य प्रदेश, भोपाल	हानि की वसूली न होने के कारण	123	950853.00
	योग			163	1789140.00

(स्रोत: महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) एवं (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश में संधारित जानकारी)

परिशिष्ट 3.5
लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बुकिंग
(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 71)

स. क्र.	मुख्य शीर्ष		मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय (₹ करोड़ में)	लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत व्यय (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	90.34	90.34	100
2	4875	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	3.65	3.65	100
3	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	23.35	23.35	100
4	4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	1.37	1.37	100
5	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.25	0.25	100
6	2852	उद्योग	270.55	258.45	96
7	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	686.47	632.16	92
8	2702	लघु सिंचाई	120.08	108.60	90
9	4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय (ऑकारेश्वर परियोजना तथा नहर उद्वहन इत्यादि)	2556.48	2280.53	89
10	2075	विविध सामान्य सेवायें	12.82	11.42	89
11	2204	खेलकूद तथा युवा कल्याण सेवाएं	134.32	71.22	53
12	4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को अनुदान इत्यादि)	702.69	395.73	56
13	3454	जनसंख्या सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	112.09	73.25	65
14	2853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	911.36	591.34	65
15	5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	2301.40	1456.12	63
16	2705	कमान क्षेत्र विकास	3.71	2.16	58
17	4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6.78	3.77	56
18	2205	कला एवं संस्कृति	136.29	72.07	53
		योग	8074.00	6075.78	

(स्रोत: वित्त लेखे 2013-14)

परिशिष्ट 3.6
लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत बुकिंग
(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 72)

स. क्र.	मुख्य शीर्ष		मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत प्राप्ति (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1	0852	उद्योग	49.21	49.21	100
2	0853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	2306.17	2306.17	100
3	0801	विद्युत	378.66	378.66	100
4	0702	लघु सिंचाई	219.37	219.37	100
5	0220	सूचना एवं प्रचार	0.11	0.11	100
6	0058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	22.25	22.25	100
7	0035	कृषि भूमि के अतिरिक्त अचल संपत्ति पर कर	666.95	666.95	100
8	0047	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0.04	0.04	100
9	0404	डेयरी विकास	0.01	0.01	100
10	0211	परिवार कल्याण	0.16	0.16	100
11	0202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	2008.49	2005.20	100
12	0408	खाद्य भण्डार एवं भंडागार	1.83	1.83	100
13	0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	8.23	8.18	99
14	0059	लोक निर्माण कार्य	46.92	46.01	98
15	0403	पशुपालन	4.90	4.62	94
16	0217	शहरी विकास	35.72	32.85	92
17	0700	मुख्य सिंचाई	27.12	21.62	80
18	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	3.41	2.54	74
19	0075	विविध सामान्य सेवाएं	33.69	23.66	70
20	0039	राज्य आबकारी	5907.39	4071.64	69
21	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	6.05	4.08	67
22	0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	57.76	37.69	65
23	0029	भू-राजस्व	366.23	237.89	65
24	0055	पुलिस	71.92	43.47	60
25	0056	जेल	3.53	2.04	58
26	0215	जलपूर्ति तथा सफाई	10.33	5.24	51
		योग	12236.45	10191.49	

(स्रोत: वित्त लेखे 2013-14)

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agmp.nic.in